मध्य प्रदेश शासन

# आवास एवं पर्यावरण विभाग

विधानसभा भवन का विहंगम दृश्य

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2005–06

मध्य प्रदेश शासन

# आवास एवं पर्यावरण विभाग

## वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

## 2005–06

# आवास एवं पर्यावरण विभाग

## विभागीय संरचना

| | |
|---|---|
| मंत्री | श्री जयंत मलैया |
| प्रमुख सचिव | श्री पी.डी. मीणा |
| सचिव | श्री एस.एस. उप्पल |
| उप सचिव | श्री संतोष मिश्र |
| उप सचिव | श्री आर.के. त्यागी |
| उप सचिव | श्री बी.एन. त्रिपाठी |
| अवर सचिव | श्री सी.बी. पड़वार |

# अनुक्रमणिका


| | |
|---|---|
| **प्रस्तावना** | **1–3** |
| **अध्याय–1**<br>नगर तथा ग्राम निवेश | **4–12** |
| **अध्याय–2**<br>राजधानी परियोजना प्रशासन | **13–23** |
| **अध्याय–3**<br>गृह निर्माण मण्डल | **24–39** |
| **अध्याय–4**<br>मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ | **40–43** |
| **अध्याय–5**<br>मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास संघ | **44–47** |
| **अध्याय–6**<br>मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | **48–59** |
| **अध्याय–7**<br>पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन | **60–69** |
| **अध्याय–8**<br>झील संरक्षण प्राधिकरण | **70–74** |
| **अध्याय–9**<br>आपदा प्रबंध संस्थान | **75–84** |

1. विधानसभा भवन का विहंगम दृश्य

2. प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल

3. राज्य पुरातत्व संग्रहालय

4. मयूर पार्क, भोपाल

# आवास एवं पर्यावरण विभाग

आवास एवं पर्यावरण विभाग की दो शाखाएँ हैं, जिनके उद्देश्य एवं उनके अन्तर्गत आने वाले विभाग का विवरण निम्नानुसार हैः–

**आवास**

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से आवास निर्माण योजनाएं, शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण योजनाएँ एवं भवन निर्माण राष्टीय आवास नीति म प्र स्थान नियंत्रण अधिनियम और म प्र प्रकोष्ठ अधिनियम आदि से संबंधित कार्य संपादित होते हैं।

**पर्यावरण**

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से भूमि प्रबंध, विकास योजनाएं और नियोजन, जैव संसाधन विकास, प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण सुधार, राजधानी परियोजना, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से जुड़े कार्य संपादित किये जाते हैं।

विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय निम्न है :

- नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय
- राजधानी परियोजना
- गृह निर्माण मण्डल
- मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ
- मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम
- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
- झील संरक्षण प्राधिकरण
- आपदा प्रबंध संस्थान

# आवास एवं पर्यावरण विभाग–संक्षेपिका

राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विकास अति आवश्यक है, किन्तु हमें यह ध्यान रखना होगा कि विकास के रास्ते पर चलते हुये पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, क्योकि स्वथ्य पर्यावरण एवं विकास एक दूसरे के परिपूरक होंगे तभी स्वपोषी विकास संभव हो सकेगा। यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित न रख सके तो पृथ्वी से मानव सभ्यता का विनाश अधिक दूर नहीं रहेगा। अतः स्वपोशी विकास की अवधारण को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन प्रदेश के सतत विकास के लिये वचनबद्ध है।

राज्य के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजनायें बनाना एवं समय–समय पर उनका पुनरीक्षण करना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा छोटे एवं मझोले नगरों का एकीकृत विकास शासन की प्राथमिकता रही है। नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा 46 नगरों की विकास योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। राज्य को 8 विभिन्न निवेश क्षेत्रों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है इसमें बीना पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र की विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर ली गई हैं। वर्ष के दौरान सिहोरा, बड़वानी, बैतूल, सिंगरौली एवं अमरकंटक की विकास योजनायें प्रकाशित की गई हैं। महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, होशंगाबाद, बालाघाट एवं बैरसिया की विकास योजनायें भी तैयार की जा चुकी हैं। छोटे एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास हेतु 10 नगरों को केन्द्रांश एवं राज्यांश मुक्त किया जा चुका है।

घर सांस्कृतिक मानव की मूल आवश्यकता है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक का अपना स्वंय का आवास हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवास समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु एवं स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को बढ़ावा देने हेतु आवास नीति 1995 को पुनरीक्षित करते हुये आवास नीति 2004 का मसौदा एम.पी. हाउसिंग बोर्ड द्वारा तैयार कर लिया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा ''वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना'' हेतु उन्हें दिये जाने वाले अनुदान को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। शहरीकरण को ध्यान में रखते हुये मण्डल द्वारा बिट्ठन मार्केट, भोपाल में व्यवसायिक परिसर मेट्रो प्लाजा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर भूमि के उपयोग को बढ़ाने हेतु राज्य शासन द्वारा पुर्नघनत्वीकरण (रिडेन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत साउथ टी.टी. नगर, भोपाल में प्लेटिनम प्लाजा की परियोजना शीघ्र पूर्ण की जा रही है।

प्रदेश के प्रदूषण मुक्त विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुये मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में आने वाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई। आने वाले उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करने की अनिवार्य शर्त के रूप में पचास हजार से अधिक वृक्षों का रोपण इस वर्ष में किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 9 नदियों के किनारे बसे 11 नगरों के दूषित जल के शुद्धिकरण, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं अभी तक 5 डी.पी.आर तैयार किये जा चुके हैं एवं शेष 4 डी.पी.आर. शीघ्र पूर्ण कर भारत सरकार को अनुदान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की तर्ज पर पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा सागर तालाब एवं शिवपुरी तालाबों की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। राज्य की जनता एवं विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एप्को को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय हरित कोर योजना हेतु राज्य स्तरीय क्षेत्रीय सम्पर्क इकाई के रूप में मान्य किया गया है। जैव विविधता संरक्षण हेतु शासन द्वारा पचमढ़ी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर इसके संरक्षण पर रू 58.20 लाख व्यय किये गये हैं। अमरकंटक को भी जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु छत्तीसगढ सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचना शीघ्र जारी की जावेगी।

भोपाल के बड़े एवं छोटे तालाबों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को–आपरेशन के वित्तीय सहयोग से जून 2004 में पूर्ण की गई, भोज वेटलैण्ड परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर शासन द्वारा प्रदेश के अन्य तालाबों/ झीलों के संरक्षण एवं उनकी जल गुणवत्ता में सुधार की परियोजनायें बनाने हेतु इस वर्ष जून माह में झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण राज्य के विभिन्न तालाबों का अध्ययन कर एवं डी.पी.आर. बनाकर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

प्रदेश में प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु राज्य शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान का गठन किया गया। गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा इस संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक चुना गया है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे देश के 8 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में स्पेशियल इन्वायरमेंटल प्लानिंग के क्षेत्र में मानव संसाधन में क्षमता वृद्धि हेतु चुना गया है।

# नगर तथा ग्राम निवेश

## भाग – एक

## संरचना

नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय का मुख्यालय भोपाल में है जिसकी वर्तमान संरचना निम्नानुसार है :–

संचालक
अपर संचालक
संयुक्त संचालक
उप संचालक
सहायक संचालक एवं
कर्मचारीगण

संचालनालय का नवीन भवन म.प्र. गृह निर्माण मण्उल द्वारा ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी में निर्मित किया गया है जिसमें संचालनालय दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है ।

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश **श्री एस.एन. मिश्रा**

## अधीनस्थ कार्यालय

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन 24 कार्यालय हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | संयुक्त संचालक स्तर के कार्यालय | ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इंदौर, भोपाल | 6 |
| 2. | उप संचालक स्तर के कार्यालय | खण्डवा, सतना, नीमच, उज्जैन, देवास, गुना, शहडोल | 7 |
| 3. | सहायक संचालक स्तर के कार्यालय | रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, छतरपुर, विदिशा, राजगढ़, मण्डला, कटनी, भिण्ड, झाबुआ. | 11 |
| | **कुल कार्यालय** | | **24** |

### विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में निम्न प्राधिकरण कार्यरत हैं :–

| नगर विकास प्राधिकरण | | विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | |
|---|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 1. | नर्मदा घाटी (हरसूद) |
| 2. | इंदौर | 2. | ग्वालियर प्रति–आकर्षण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट) |
| 3. | ग्वालियर | 3. | पचमढ़ी |
| 4. | उज्जैन | | |
| 5. | जबलपुर | | |
| 6. | देवास | | |

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व :**

1. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यकलाप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नानुसार हैं :–

(अ) **प्रादेशिक विकास योजना –** राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर ली गयी है।

(ब) **नगर विकास योजना –** राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 52 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र मांक | नगर का नाम | प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि | विकास योजना अनुमोदन की तिथि | क्रियान्वयन संस्था | योजना कालावधि | अंतिम विकास योजना मुद्रित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **प्रकाशित/अंगीकृत विकास योजनायें** | | | | | | |
| 1 | इंदौर | 10.06.1974 | 01.03.1975 | विकास प्राधि. | 1991 | हाँ |
| 2 | भोपाल | 19.11.1974 | 25.08.1975 | विकास प्राधि. | 1991 | हाँ |
| 3 | उज्जैन | 20.05.1975 | 28.10.1975 | विकास प्राधि. | 1991 | हाँ |
| 4 | खजुराहो | 26.10.1975 | 11.10.1977 | नगर पंचायत | 1991 | हाँ |
| 5 | जबलपुर | 26.08.1977 | 28.09.1679 | विकास प्राधि. | 1991 | हाँ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ग्वालियर | 09.03.1979 | 21.10.1980 | विकास प्राधि. | 1991 | हाँ |
| 7 | देवास | 04.09.1979 | 10.03.1986 | विकास प्राधि. | 1991 | – |
| 8 | शिवपुरी | 25.04.1987 | 05.08.1988 | नगर पालिका | 2001 | हाँ |
| 9 | चंदेरी | 27.06.1987 | 24.01.1989 | नगरपालिका | 2001 | हाँ |
| 10 | रतलाम | 24.06.1985 | 28.05.1990 | नगर निगम | 2001 | हाँ |
| 11 | रीवा | 28.03.1987 | 27.11.1990 | नगर निगम | 2001 | हाँ |
| 12 | सतना | 29.08.1986 | 18.04.1991 | नगर निगम | 2001 | हाँ |
| 13 | बुरहानपुर | 26.02.1993 | 08.06.1995 | नगर निगम | 2005 | हाँ |
| 14 | नव हरसूद | 23.01.1995 | 14.02.1997 | साडा | 2011 | हाँ |
| 15 | दमोह | 04.07.1994 | 19.03.1998 | नगर पालिका | 2005 | हाँ |
| 16 | चित्रकूट | 06.09.1994 | 03.08.1998 | नगर पंचायत | 2005 | हाँ |
| 17 | बीना | 15.04.1999 | 14.01.2000 | नगरपालिका | 2011 | हाँ |
| 18 | सागर | 05.06.1999 | 03.03.2000 | नगर निगम | 2011 | हाँ |
| 19 | सांची | 01.11.1999 | 11.07.2000 | नगर पंचायत | 2011 | हाँ |
| 20 | नीमच | 25.10.1999 | 05.07.2000 | नगर पालिका | 2011 | हाँ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | पन्ना | 21.10.1999 | 17.05.2000 | नगरपालिका | 2011 | हाँ |
| 22 | ग्वालियर साडा | 22.10.1999 | 24.04.2000 | साडा | 2011 | हाँ |
| 23 | इटारसी | 22.02.2000 | 09.03.2001 | नगरपालिका | 2011 | हाँ |
| 24 | खण्डवा | 29.02.2000 | 09.03.2001 | नगर निगम | 2011 | मुद्रणालय |
| 25 | मैहर | 18.09.2000 | 31.08.2001 | नगरपालिका | 2011 | |
| 26 | मांडव | 24.01.2001 | 02.11.2001 | नगर पंचायत | 2011 | हॉ |
| 27 | छिंदवाड़ा | 14.02.2001 | 09-08-2002 | नगरपालिका | 2011 | हॉ |
| 28 | शहडोल | 22.01.2001 | 05-12-2002 | नगरपालिका | 2011 | |
| 29 | खरगौन | 16-03-2002 | 05-12-2002 | नगर पालिका | 2011 | मुद्रणालय |
| 30 | जावरा | 25-03-2002 | 16-12-2002 | नगर पालिका | 2011 | |
| 31 | विदिशा | 10.08.2001 | 21-01-2003 | नगरपालिका | 2011 | |
| 32 | मंदसौर | 29-9-2002 | 12-05-2003 | नगरपालिका | 2011 | |
| 33 | पाण्ढुर्ना | 21-01-2003 | 29-08-2003 | नगरपालिका | 2011 | |
| 34 | गुना | 29-03-2003 | 29-08-2003 | नगरपालिका | 2011 | हाँ |
| 35 | झाबुआ | 05-05-2003 | 10-10-2003 | नगरपालिका | 2011 | |
| 36 | भिण्ड | 04-09- | 28-05-2004 | नगरपालिका | 2011 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003 | | | | |
| 37 | सीहोर | 27.06.2001 | 31-05-2004 | नगरपालिका | 2011 | |
| 38 | बड़वानी | 06-07-2004 | 17-12-2004 | नगरपालिका | 2011 | |
| 39 | टीकमगढ़ | 28-02-2004 | 17-12-2004 | नगरपालिका | 2011 | |
| 40 | सिहोरा | 23-06-2004 | 28-01-2005 | नगरपालिका | 2011 | |
| 41 | सिंगरौली | 20-08-2004 | 20-05-2005 | नगर निगम | 2011 | |
| 42 | अमरकंटक | 30-10-2004 | 20-05-2005 | नगर पंचायत | 2015 | |
| 43 | बैतूल | 10-12-2004 | 30-08-2005 | नगरपालिका | 2011 | |
| 44 | महेश्वर | 22-03-2005 | 12-09-2005 | नगर पंचायत | 2015 | |
| 45 | पचमढ़ी | 11.08.1998 | & | साडा | 2011 | अनुमोदन हेतु शासन के विचाराधीन |
| 46 | ओरछा | 03-08-2002 | & | नगर पंचायत | 2011 | |
| 47 | छतरपुर | 16-10-2002 | & | नगरपालिका | 2011 | पुर्नप्रकाशन किया जाना है |
| 48 | होशंगाबाद | 27-04-2005 | & | नगर पालिका | 2011 | अनुमोदन हेतु शासन के विचाराधीन |
| 49. | बालाघाट | 29-06-2005 | & | नगरपालिका | 2021 | |
| 50. | शाजापुर | 06-09-2005 | & | नगरपालिका | 2021 | |
| 51. | ओंकारेश्वर | 18-11- | & | नगर पंचायत | 2021 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2005 | | | | |
| 52. | राजगढ़ | 19.01.2006 | & | नगर पंचायत | 2021 | |

| **विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 17.10.1994 | 09.06.1995 | विकास प्राधि. | 2005 | हाँ |
| 2. | खजुराहो | 04.03.1994 | 05.06.1995 | नगर पंचायत | 2011 | हाँ |
| 3. | ग्वालियर | 29.10.1995 | 19.03.1998 | विकास प्राधि. | 2005 | हाँ |
| 4. | जबलपुर | 29.12.1995 | 08.12.1998 | विकास प्राधि. | 2005 | हाँ |
| 5. | देवास | 18.03.2002 | 17.12.2002 | विकास प्राधि. | 2011 | हाँ |
| 6. | इंदौर | 27.06.2003 | - | विकास प्राधि. | 2011 | पुर्नप्रकाशन किया जाना है |
| 7. | उज्जैन | 13.08.2002 | - | विकास प्राधि. | 2021 | |

(स) **पुनरीक्षित विकास योजना–**इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है।

**(द) परिक्षेत्रिक योजना –** नगर विकास योजना को क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निवेश इकाईयों में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक इकाई की परिक्षेत्रिक योजना बनाने का प्रावधान भी अधिनियम, 1973 में है। वर्ष 1999 में परिक्षेत्रिक योजना बनाने का दायित्व संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप नगरीय निकायों को सौंपा गया है।

**(इ) छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना –** केन्द्र प्रवर्तित छोटे तथा मझौले नगरों के विकास हेतु विभिन्न उपांगों संबंधी प्रयोजनों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा वित्त प्रदाय का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है।

**2. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व :–**

(अ) प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।
(ब) प्राधिकारियों के वार्षिक बजट का परीक्षण।
(स) प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशि उधार लेने के प्रस्तावों का परीक्षण
(द) प्राधिकारियों की योजनाओं एवं कार्यालयों का राज्य शासन के अनुमोदन अनुसार वार्षिक निरीक्षण करना।

**3. अन्य दायित्व –**

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है ।

**विशेषतायें**

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजनाओं हेतु निगरानी करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं।

**बेबसाईट प्रदर्शन**

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975, म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 आदि भी शामिल किये गये हैं। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई गयी है।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ** :

| कमांक | गतिविधियां | | उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश क्षेत्र | | 142 |
| 2. | विशेष क्षेत्र | | 03 |
| 3. | भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन | | 83 |
| 4. | विकास योजना प्रकाशन | 52 | |
| 5. | पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन | 07 | |
| 6. | म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील | | 94 |
| 7. | आई.डी.एस.एम.टी. योजनायें | | 145 |

**विकास योजना बनाने में जनसंख्या का प्रतिशत**

राज्य के कुल नगरों की संख्या 368 के मान से 52 नगरों की विकास योजनायें बनाने का कार्य कम प्रतीत हो सकता है, किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के प्रथम श्रेणी के कुल 26 नगरों में से 24 नगरों की तथा द्वितीय श्रेणी के कुल 26 नगरों में से 10 नगरों तथा अन्य 18 नगरों की विकास योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल 52 विकास योजनाओं द्वारा प्रदेश की 61 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

## भाग – दो

**बजट**

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई :–

| वर्ष | आवंटन (लाख रू.में) | व्यय (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 2003–2004 | 318.42 | 313.33 |
| 2004–2005 | 948.07 | 547.22 |
| 2005–2006 | 343.01 | 578.01 (संभावित)' |

**टीप–** '1. अनुपूरक बजट में आवंटन की प्रत्याशा में।

## भाग – तीन

**राज्य प्रवर्तित योजना :**

| क. | योजना का नाम | वर्ष | भौतिक | | वित्तीय (रू.लाख में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1. | विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण | 2003–04<br>2004–05<br>2005–06 | 15<br>15<br>15 | 4<br>6<br>15 | 37.62<br>29.87<br>47.01 | 31.61<br>26.61<br>47.01+ |
| 2. | प्रादेशिक योजना | 2005–06 | 2 प्रा. का. | 2 | 5.00 | 5.00+ |
| 2. | सूचना प्रौद्योगिकी | 2003–04<br>2004–05<br>2005–06 | –<br>–<br>– | –<br>–<br>– | 6.30<br>5.00<br>2.00 | 6.30<br>4.48<br>2.00+ |

**टीपः–**1.सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके 14 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया।
+संभावित व्यय

**केन्द्र प्रवर्तित योजना :**

1. छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (अनुदान आधारित)

| क. | वर्ष | भौतिक | | वित्तीय (रू.लाख में) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003–2004 | 25 | 24 | 411.75<br>274.50 | 411.75 केन्द्रांश<br>274.50 राज्यांश |
| 2 | 2004–2005 | 32 | 27 | 1369.74<br>913.16 | 774.10 केन्द्रांश<br>516.13 राज्यांश |
| 3 | 2005–06<br>(संभावित व्यय) | 30 | 30 | 786.00<br>524.00 | 786.00 केन्द्रांश<br>524.00 राज्यांश |

**वित्तीय वर्ष 2005–2006 दिसम्बर 2005 तक की उपलब्धियाँ :**

– **विकास योजना प्रकाशित** 1. होशंगाबाद 2. बालाघाट 3. शाजापुर 4. ओंकारेश्वर 5. उज्जैन (उपांतरित)

– **विकास योजना प्रभावशील** 1. सिंगरौली, 2. अमरकंटक, 3. बैतूल 4. महेश्वर

– **विकास योजना अनुमोदन हेतु शासन के विचाराधीन** 1. होशंगाबाद 2.पचमढ़ी, 3. ओरछा 4. बालाघाट

– **विकास योजना तैयार** 1. कटनी 2. हरदा 3. नरसिंहगढ. 4. इंदौर 2021 5. बैरसिया

– **प्रादेशिक योजना प्रकाशन हेतु तैयार** 1. बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन

– **प्रादेशिक योजना कार्य प्रगति पर** 1. नर्मदा ताप्ती रीजन 2. भोपाल केपीटल रीजन

| | | | |
|---|---|---|---|
| – | छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) हेतु | केन्द्रांश | अनुदान राशि मुक्त रूपये 433.50 लाख |
| | | राज्यांश | रूपये 289.00 लाख |

इस योजना अन्तर्गत प्रदेश के 17 नगरों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश रु. 274.80 लाख तथा केन्द्रांश रु. 412.20 लाख संबंधित स्थानीय निकायों को परियोजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गईं इसके अतिरिक्त 12 नगरों हेतु सी.यू.आई.एस.एस. की कुल राशि रूपये 35.50 लाख भी मुक्त की गयी। 17 नगरों के नाम निम्नानुसार है :–

1. अंजड 2. नलखेड़ा 3. मझौली 4. दमोह 5. खिरकिया 6. गुढ़ 7. पनागर 8. रीवा 9. मंडीदीप 10. सोहागपुर 11.कटंगी 12. नैनपुर 13. नागोद 14. आरोन 15. सोनकच्छ 16. नौगांव 17. राजपुर.

## भाग –चार

**न्यायालयीन कार्यों की स्थिति :**

विगत एक वर्ष की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 104 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिनमें से 5 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

**प्रशासकीय गतिविधियॉ –**

अ– विगत एक वर्ष की अवधि में राजपत्रित स्तर के 7 अधिकारियों तथा 37 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये, जिनमें से एक कर्मचारी का स्थानांतर निरस्त किया गया।

ब– विगत एक वर्ष की अवधि में राजपत्रित पद पर 3 तथा अराजपत्रित वर्ग में 9 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई।

स– विशेष भरती अभियान के अंतर्गत 5 तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की गयी।

**विधायी से संबंधित कार्यकलाप :**

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है।

## भाग –5

**विशिष्ट पहल :**

1. भोपाल विकास योजना–2005 का पुनर्विलोकन, मूल्यांकन कर उपान्तरण का कार्य सुदूर संवेदन आधुनिक तकनीकी संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से किया जा रहा है तथा इंदौर की उपांतरित विकास योजना वर्ष 2021 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित की जा रही है। उक्त के अलावा 10 जिला मुख्यालय नगरो की विकास योजनायें वर्ष 2005–06 में, जिनमें से 4 जिला मुख्यालय नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा 9 जिला मुख्यालय नगरों की विकास योजनायें वर्ष 2006–07 में प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने का लक्ष्य है।

## भाग – छः

**प्रकाशन :**

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से कोई प्रकाशन नहीं किया जाता हैपरन्तु नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

## भाग – सात

**राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन**

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन अंतर्गत कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 85 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 18 प्रतिशत है।

राज्य महिला नीति के बिंदु क्रमांक 50 के अनुरूप नये आवासीय काम्पलेक्स में झूलाघर के लिये बुनयादी ढांचा, सुविधाओं के संबंध में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 में प्रावधान है तथा झूलाघर, सभी भूमि उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य है।

## भाग – आठ

**सारांश** :

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 142 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 83 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 52 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें प्रदेश की लगभग 61 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 7 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन भी किया गया है। इसके साथ ही बीना पेट्रोकेमिकल्स रीजन की प्रादेशिक योजना प्रकाशन हेतु तैयार है। छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना, जो केन्द्र प्रवर्तित योजना है, को भारत शासन द्वारा ऋण के स्थान पर अनुदान में परिवर्तित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश के 145 नगरों को सम्मिलित किया जा चुका है। नए नगरों की परियोजनाऐं केन्द्र शासन द्वारा प्रसारित नई मार्गदर्शिका अनुसार तैयार की जाकर ''छोटे तथा मझौले नगरों की नगरीय अधोसंरचना विकास योजना'' के नाम से संचालित की जावेगी।

# राजधानी परियोजना प्रथासन

**भाग . 1**

## संरचना

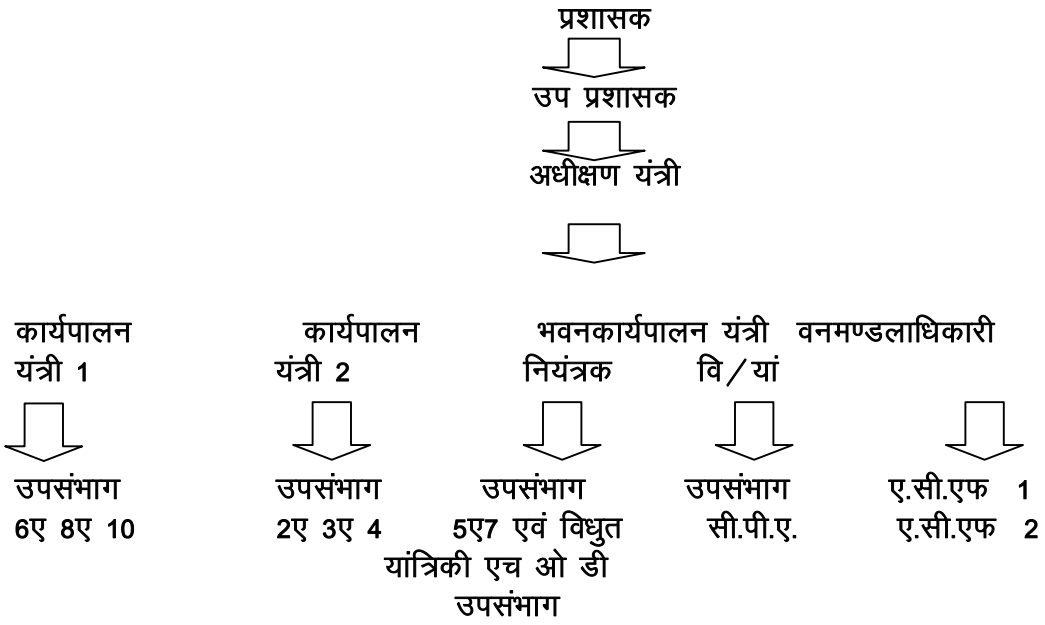


## दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरांत जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तो यह प्रतीत हुआ कि भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ आगामी समय में प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक सांर्स्कंकि आगामी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है जिसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा असके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। उस समय की राजधानी की रुपरेखा असके विकास एवं तात्कालिक जनसंख्सर विकास हेतु राजधानी परियोजना की स्थापना की गयी। राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य संपादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना हाने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10.11 गुना बढ चुका है और क्षैत्रफल/फैलाव में भी यह शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। भोपाल क्रमशः महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है।भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना, राजधानी में विभिन्न आधार भूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवनों/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारौपण बाग–गगीचों का विकास आदि कार्य उस समय जितना प्रारंभिक कार्य आवश्यक था, उसकी प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा 10–15 गुना बढी ही है, भोपाल में राजधानी प्रशासन की आवश्यकता एव्र प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना आज भी है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः तीन विभागों से संबंधित कार्य संपादित किये जा रहें हैं।

### 1. मण्डल कार्यालय राजधानी परियोजना :

मण्डल कार्यालय राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य संपादित किये जा रहे है। साथ ही परियोजना क्षैत्र में स्थित महत्वपूर्ण शसकीय भवनों तथा मंत्रालय, सतपुडा/विन्ध्याचल भवन नई एवं पूरानी विधान सभा, तथा नवीन न्यायालय भवन के रखरखाव संबंधी कार्यों के साथ ही बाग–बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों के चौड़ीकरण, सुद्ढीकरण एवं विद्युतीकरण संबंधी अनेको कार्य किये जा रहे हैं। इनके अन्तर्गत अधीक्षण यंत्री कार्यालय–4 कार्यपालन यंत्री संभागीय कार्यपालन एवं 11 उप संभागीय कार्यालय एवं अधीनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीक्त होकर कार्यरत हैं।

### 2.वनमण्डल राजधानी परियोजना :

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वन मण्डल कार्यालय का गठन दिनांक 21.02.1986 को निम्नलिखित उददेश्यों हेतु किया गया है। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीला होने के कारण यहां भूमि को बडे ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान फलदार एवं छायादार व्क्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उनका रखरखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवांछनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमियों के अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकतानुसार फेन्सिंग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों रोपण करना गंदे नालों के आस–पास व्क्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटाव को भू–संरचना उपायों से रोकना।

### 3.नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना :

राजधानी परियोजना नजूल अधिकारी के माध्यम से राजधानी क्षैत्र की समस्त रिक्त शासकीय नजूल भूमियो का राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य संपादित किये जा रहे है। रिक्त समस्त शासकीय नजूल भूमियों के मास्टर प्लान के अंतर्गत भूमि उपयोग को द्ष्टिगत रखते हुए विभिन्न शासकीय/अर्धशासकीय एवं अशासकीय विभागों/संस्थाओं का समस्त जांच उपरान्त भूमि का आरक्षण किया जाता है। जिसके आधार पर राजस्व विभागों द्वारा उसके आवंटन की कार्यवाही की जाती है, नजूल अधिकारी की सहायता के लिये दो तहसीलदार एवं 6 नायब तहसीलदार मय अधीनस्थ अमले के मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के मेन्युअल अनुसार कार्यरत है।

# भाग दो

**बजट प्रावधान – लक्ष्य व्यय योजनावार, राजधानी परियोजना मण्डल**

| | | वर्ष 2003–2004 | | वर्ष 2004–2005 | वर्ष 2005–2006 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कमांक** | **शीर्ष/उपशीर्ष** | **बजट प्रावधान लाख रु में** | **व्यय 3/2005 तक लाख रु में** | **बजट प्रावधान लाख रु में** | **व्यय 03/05 तक लाख रु में** | **बजट प्रावधान लाख रु में** | **व्यय 12/05 तक लाख रु में** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 21/4217 051 भूमि | ..... | ..... | 1.01 | 0.99 | 2.00 | 2.15 |
| 2. | 3763 आवासीय भवन | 19.39 | 19.58 | 17.25 | 17.25 | 250.00 | 170.19 |
| 3 | 284 गैर आवासीय भवन | 31.61 | 22.48 | 116.07 | 120.68 | 300.00 | 168.22 |
| 4 | 4339 सडक एवं पुल | 411.18 | 406.16 | 793.36 | 793.37 | 1150.00 | 1113.89 |
| 5 | अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ए.सी.ए | | | | | 500.00 | |
| 6 | 21/1021 अन्य व्यय क्षैत्रों का सौन्दर्यीकरण | 404.91 | 413.56 | 482.84 | 499.13 | 453.21 | 429.27 |
| 7. | 3414 मशीन एवं उपकरण | 1.91 | 2.18 | 1.00 | 1.32 | 1.00 | 1.22 |
| 8 | 6851 भोपाल गैस त्रासदी स्मारक | | | | | 50.00 | |
| 9 | स्थापना व्यय | 185.43 | 192.11 | 200.00 | 218.27 | 220.00 | 155.40 |
| 10 | 21/2217 आयोजना ए.आर. विधान सभा | 370.00 | 403.87 | 544.58 | 550.10 | 585.00 | 448.77 |
| | 21/4217,2217 आयोजना योग | 1459.43 | 1483.28 | 2156.11 | 2201.11 | 3311.21 | 2489.11 |
| | 21/4217 आयोजनेत्तर 284 अरहवासी भवन 24 अनु. कार्य ।ध्र | 200.00 | 209.55 | 200.99 | 217.68 | 300.00 | 291.97 |

# भाग तीन अ

## राज्य योजनायें

### वर्ष 2003–2004

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन हेतु वर्ष 2003–2004 के लिये रुपये 1475 लाख का आवंटन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये गये/किये जा रहें हैं।

1 हबीबगंज नाके से चेतक सेतु सुभाष नगर मार्ग का शेष निर्माण कार्य पूर्ण।

2 कोलार रोड जंक्शन से बैरागढ चीचली मार्ग के चौडीकरण का कार्य पूर्ण। मजबूतीकरण का कार्य कि. मी. 1 से 3 तक पूर्ण । शेष कार्य प्रगति पर है।

3 साकेत नगर से बाग सेवनियांकला मार्ग का डब्लयू बी एम स्तर तक कार्य पूर्ण।

4 एम.ए.सी. टी. चौराहे से भदभदा जंक्शन तक दो लेन सडक का डब्लयू बी एम स्तर तक कार्य पूर्ण। डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

5 पुरानी जेल से शिवम पेट्रोल पंप तक दो लेन सडक का निर्माण कार्य पूर्ण। सेन्ट्रल वर्ज का कार्य किया जाना है।

6 राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित आर. आर. एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फीट मार्ग का निर्माण कार्य डब्लयू बी एम स्तर तक पूर्ण। कि.मी. 0 से 500 मीटर तक कार्य आरआर. एल. से अनापत्ति के कारण नहीं किया जा सका।

7 पुरानी जेल से पुलिस कन्ट्रोल रुम तक सडक चौडीकरण डब्लयू बी एम स्तर तक कार्य प्रगति पर है।

8 राजीव गांधी चौक से इंदिरा मार्केट तक पार्किंग विकास कार्य लगभग पूर्ण।

9 मेन रोड क्रमांक 2 पर स्थित 6 नंबर बस स्टाप से गुजरने वाली लिंक रोड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण।

10 शाहपुरा बावडियां कलां मार्ग क्रमांक 3 के पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11 वल्लभ भवन के पास सुरक्षा कर्मियों हेतु बेरेक्स निर्माण कार्य पूर्ण।

12 सतपुडा / विंध्याचल भवन स्थित विधुत कंट्रोल पेनल का विधुतीकरण कार्य प्रगति पर है।

13 वल्लभ भवन के गेट क्रमांक दो में एक लिफट को बदलने का कार्य पूर्ण।

14 वल्लभ भवन में आगंतुको हेतु बस टर्मिनल एवं आटो पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

15 बगीचों के निर्माण एवं पार्कों का रखरखाव।

16 वनमण्डल कार्यालय राजधानी परियोजना वन मंडल के परिक्षैत्र में नये पौधों का रोपण एवं रखरखाव।

**वर्ष 2004–2005**

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन हेतु वर्ष 2004–2005 के लिये रुपये 1468 लाख का आवंटन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये गये / किये जा रहें हैं।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से मिलने हेतु हबीबगंज नाके से चेतक सेतु सुभाष नगर होते हुए सडक का शेष निर्माण कार्य।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग 12 स्थित आर.आर. एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फीट मार्ग का शेष निर्माण कार्य।

3. शाहपुरा क्षैत्र एवं बावडियां कलां में सडकों का निर्माण फेस 2 का कार्य।

4. कोलार जंक्शन से बैरागढ चीचली तक सडक का शेष चौडीकरण कार्य।

5. कोलार मार्ग के प्थक 8 कि. मी. पर विधुत कार्य।

6. मनीषा मार्केट से कोलार रोड का चौडीकरण कार्य।

7. साकेत नगर से बाग सेवनिया तक सडक का निर्माण कार्य।

8. बाग मुगालिया मास्टर प्लान बाग सेवनिया से बाग मुगालिया तक सडक का निर्माण कार्य।

9. मेन रेाड क्रमांक तीन के मार्ग पर एम.ए.सी. टी. चौराहे से भदभदा जंक्शन तक 2 लेन सडक का निर्माण कार्य।

10. पुरानी जेल से शिवम पेट्रोल पंप तक 2 लेन मार्ग सेंट्रल वर्ज का निर्माण कार्य।

11. रोशनपुरा चौराहे से एम.ए.सी.टी. चौराहे तक मार्ग का चौडीकरण कार्य।

12. पुरानी जेल से पुलिस कंट्रोल रुम तक मार्ग का चौडीकरण कार्य।

13. 1100 क्वार्टस से मनीषा मार्केट तक मार्ग का चौडीकरण कार्य।

14. शिवम पेट्रोल पंप से लिंक रोड क्रमांक 2 पर स्ट्रीट लाइट के विधुतीकरण का कार्य।

15. भोपाल रेल्वे ओवर ब्रिज से भोपाल रायसेन मार्ग व्हाया अशोका गार्डन तक सडक का कार्य।

16. जेल रोड सेंट्रल स्कूल मार्ग से तथा नया न्यायालय भवन के पीछे राज्य निर्वाचन आयोग भवन तक मार्ग का निर्माण।

17. हबीबगंज अंडर ब्रिज से मिसरोद तक सडक का निर्माण कार्य।

18. सुभाष नगर रेल्वे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण।

19. नवीन विधान भवन निर्माण के अंतर्गत लघुमूल कार्य।

20. मंत्रालय भवन में आगंतुकों हेतु बस टर्मिनल एवं आटों पार्किंग का शेष कार्य।

21. सतपुडा / विंध्याचल स्थित विधुत कन्ट्रोल पैनल का विधुतीकरण कार्य।

22. सतपुडा भवन स्थित विधुत उपकेन्द्र के सुधार कार्य।

23. विभागाध्यक्ष भवनों हेतु पास आफिस एवं पार्किंग का निर्माण

24. प्रकाश स्वीमिंग पूल का उन्नयन एवं विधुत कार्य।

25. मंत्रालय वल्लभ भवन में एक लिफट लगाने का कार्य।

26. भोपाल में दो नये तरण तालों का निर्माण। 1. एकांत पार्क में 2. कोहेफिजा भोपाल में ।

27. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय परिसर में स्कूटर शेड, स्टोर एवं गार्ड रुम का निर्माण कार्य।

28. उद्यान निर्माण एवं रखरखाव।

29. शाहपुरा पार्क का विकास एवं उन्नयन कार्य।

30. भोपाल के खुले क्षेत्रों में फेंसिंग एवं रखरखाव।

31. शाहपुरा केंपियन स्कूल के पास पार्क एवं विकास कार्य।

32. गुरु गोविंद सिंह पार्क में पाथवे का निर्माण कार्य।

33. संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में लेंड स्केपिंग का कार्य।

**वर्ष 2005–2006**

मांग संख्या 21 शीर्ष 4217 आयोजना के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन हेतु वर्ष 2005–2006 के लिये रुपये 1594 लाख का आवंटन प्रदान किया गया जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाये गये/किये जा रहे हैं।

1. चेतक ब्रिज से सुभाष नगर तक एवं हबीबगंज नाके से चेतक ब्रिज तक स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग 12 स्थित आर.आर. एल. से साकेत नगर तक प्रस्तावित 120 फीट मार्ग के निर्माण बाबत।

3. शाहपुरा क्षेत्र एवं बावडियांकलां में सडकों का निर्माण फेस 1 के अंतर्गत।

4. कोलार रोड से मनीषा मार्केट रोड चौराहे का उन्नयन।

5. कोलार मार्ग के प्थक 8 कि.मी. पर विधुतीकरण कार्य।

6. मनीषा मार्केट से कोलार रोड का चौडीकरण कार्य।

7. साकेत नगर से बाग सेवनिया होते हुए बाग मुगालिया तक सडक का निर्माण।

8. भदभदा क्रासिंग से टी.टी.आई होते हुए गांधी भवन तक मार्ग पर विधुतीय व्यवस्था।

9. बागमुगालिया मास्टर प्लान बागसेवनिया तक सडक निर्माण।

10. मेन रोड क्रमांक तीन के मार्ग पर एम.ए.सी.टी. चौराहे से भदभदा रोड जंक्शन तक दो लेन सडक का निर्माण कि.मी. 400।

11. वल्लभ भवन से पुरानी जेल शिवम पेट्रोल पंप तक दो लेन मार्ग का निर्माण।

12. रेल्वे कोच फेक्ट्री निशातपुरा के लिये पंहुच मार्ग का निर्माण।

13. रोशनपुरा चौराहे से एम.ए.सी.टी. चौराहे तक मार्ग का चौडीकरण।

14. पुरानी जेल से पुलिस कंट्रोल रुम तक मार्ग का चौडीकरण कार्य।

15. राजीव गांधी चौराहे से इंदिरा मार्केट तक सडक का चौडीकरण।

16. 6 नंबर बस स्टाप से गुजरने वाली सडक का चौडीकरण।

17. शाहपुरा बावडिया कलां मार्ग क्रमांक तीन पर पुलिया का निर्माण।

18. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल जेल रोड शुभम पेट्रोल पंप तथा मेन रेाड नं 1 पर स्थित चौराहे तथा शुभम पंप के सामने निर्माण।

19. शाहपुरा पार्क का उन्नयन एवं विकास कार्य।

20. शुभम पेट्रोल पंप से लिंक रोड नं 2 पर स्ट्रीट लाईट का विधुतीकरण कार्य।

21. जेल रोड से सेंट्रल स्कूल मार्ग से नया जिला न्यायालय भवन के पीछे से राज्य निर्वाचन आयोग भवन तक सडक का निर्माण कार्य।

22. संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण ।

23. कमला नेहरु स्कूल से प्रकाश स्वीमिंग पूल तक प्रथम चरण मुख्य मार्ग क्रमांक एक चौडीकरण एव विकास कार्य। आदर्श मार्ग

24. हबीबगंज के समीप होशंगाबाद रोड पर रेत ट्रक पार्किंग का निर्माण।

25. शाहपुरा क्षैत्र में फेस 2 के अंतर्गत सडकों का निर्माण।

26. कोलार रोड का उन्नयन कार्य।

27. साकेत नगर एम्स से बाग सेवनिया तक सडक का निर्माण।

**नये प्रस्तावित कार्य**

28. जे. के. रोड को पूर्ण कर अयोध्या नगर से जोडने हेतु सडक का निर्माण।

29. पुरानी जेल रोड पर स्थित शुभम पेट्रोल पंप से मस्जिद तक में ट्रांसफार्मर स्थापित करने बाबत।

30. कलियासेात ब्रिज का विधुतीय कार्य।

31. नये भोपाल में विभिन्न मार्गों की पूर्ण हो चुकी स्ट्रीट लाइट के विधुत बिलों के भुगतान एवं संधारण हेतु।

32. चूना भटटी से भदभदा रोड सडक का मास्टर प्लान सडक का निर्माण कार्य।

33. बाग सेवनिया में हाट बाजार बनाने हेतु एवं भोपाल में विभिन्न स्थानों पर हाकर्स कार्नर का निर्माण।

34. कोलार रोड से एन.एच. 12 को नहर के समानांतर चार कि.मी. लंबे मार्ग का निर्माण।

35. मनीषा मार्केट से 1100 क्वार्टस तक सडक का चौडीकरण एवं संपूर्ण मार्ग का डामरीकरण।

36. कोलार रेाड से भोपाल बाय पास रोड को एन.एच.12 होते हुए 10.70 कि.मी. लंबे मार्ग का निर्माण।

37. गैस गोडाउन से विवेकानंद विधापीठ भेल क्षैत्र को जोडने वाले 900 मी. मार्ग का चौडीकरण एवं मजबूतीकरण।

38. एन. एच. 12 से सेंट्रल स्कूल नं 3 को जोडने वाले 600 मी . लंबे मार्ग का निर्माण ।

39. शाहपुरा मनीषा मार्केट के पास चौराहे का विकास कार्य।

40. ग्राम कोकटा ट्रांसपोर्ट नगर से रा. रा. मार्ग क्रमांक 12 भोपाल नवीन रोड का निर्माण । रिंग रेाड।

41. सुभाष नगर रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण।

42. त्रिलंगा से कलियासेात नदी को पार कर मंदाकिनी कालोनी एवं सर्वधर्म सी सेक्टर तथा दानिश कुंज को जोडने वाले मार्ग का निर्माण।

43. रा. रा. क्रमांक 12 होशंगाबाद रोड से बाग मुगालिया तक सडक का निर्माण कार्य।

44. रायसेन रोड अशोका गार्डन से रेल्वेस्टेशन तक सडक का निर्माण।

45. हबीबगंज अंडर ब्रिज से मिसरेाद रोड का निर्माण ।

## भाग तीन ब

**ब. केन्द्र परिवर्तित योजना–**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत अरेरा पहाडी भोपाल में जिला न्यायालय भवन का निर्माण कार्य लागत रु 968.25 लाख का कार्य किया गया है।

## भाग तीन स

**स – विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं –**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से कोई भी योजनाएं नहीं चल रही हैं।

## भाग तीन द

**द – विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं /परियोजनाएं–**

1. छोटी झील एवं बडी झील में तेरते फव्वारे/ओजोनाइजर फव्वारे सब ओजोनाइजर के कार्य हेतु रु 281.40 लाख की राशि प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्व कुल रु 263.55 लाख व्यय किये गये हैं। जिससे बडी झील में 9 छोटी झील में तीन तेरते फववारों का कार्य एवं विधुत देयकों को भुगतान किया गया।

2. वर्धमान पार्क से वन विहार, जीवन वाटिका, तक रिटेनिंग वाल, पाथ वे बारादरी, लान, फुटपाथ इत्यादि के कार्य हेतु 428.52 लाख लागत थी जिसके विरुद्व कुल रु 396.09 लाख व्यय कर कार्यों का संपादन कराया गया।
3. भदभदा स्थित चेनल ब्रिज एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य लागत रु 808.00 लाख जिसके विरुद्व कुल रु 775.00 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण किया गया।
4. इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य हेतु 134.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके अंतर्गत 1. इप्को केंपस में इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य, 2. बोट क्लब वन विहार में इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

## भाग तीन ई

**ई – अन्य योजनाएं –**

1. मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण रु 12.00 करोड की लागत से पूर्ण किया गया ।
2. मध्य प्रदेश राज्य जन जाति संग्रहालय भवन का निर्माण प्रारंभ किया गया है। जिसकी अनुमानित लागत रु 14.00 करोड है।

## भाग – 4

**सामान्य प्रशासनिक विषय**

**1.विभागीय पदोन्नति :**

वर्ष 2005–2006 में जनवरी 2006 तक राजधानी परियोजना प्रशासन मण्डल में कोई विभागीय पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है।

**2.नियुक्तिः**

वर्ष 2005–2006 में जनवरी 2006 तक राजधानी परियोजना प्रशासन मण्डल में कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है।

**3.विभागीय जांच :**

दिनांक 21.07.2003 को प्रकाश तरुण पुष्कर में हुई दुर्घटना के कारण कार्यरत एक प्रशिक्षक, दो जीवन रक्षक, एवं एक बिल क्लर्क को निलंबित किया गया था। निलंबित कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये थे। आरोप पत्र की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये। जांच अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन उपरांत कर्मचारियों को बहाल किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर प्रबंधक, तरुण पुष्कर को भी निलंबित किया गया था। परंतु निर्धारित अवधि में शासन स्तर से आरोप पत्र जारी न करने के कारण निर्धारित अवधि समाप्त हाने पर प्रबंधक द्वारा कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक से उनका निलंबन स्वतः समाप्त हो गया है।

**4. क्लोरीन गैस रिसन घटनाः**

प्रकाश स्वीमिंग पूल में दिनांक 25.02.2003 को क्लोरीन गैस रिसन घटना हुई थी जिससे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रियल जांच कराई गई थी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के निष्कर्श के अनुसार संबंधित के विरुद्व अनुशासानात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण की पुनराव्त्ति नहीं हो तत्संबंधी कार्यपालन यंत्री निर्माण संभाग कमांक एक राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है।

**5. न्यायालयीन प्रकरण :**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाब दावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

## भाग – 5

**अभिनव योजना :**

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत स्वीमिंग पूल में बच्चों के लिये अतिरिक्त स्विमिंग पूल का निर्माण एवं भोपाल शहर में स्वीमिंग पूल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश जन जाति संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

## भाग – 6 निरंक

## भाग – 7

**महिला नीति**

महिला नीति के अंतर्गत राजधानी परियोजना मण्डल राजधानी परियेाजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं रोकथाम तथा यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया है।

## भाग – 8

**सारांश**

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में मंत्रालय वल्लभ भवन सतपुडा/विंध्याचल भवन नवीन विधान सभा भवन, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी शासकीय गीतांजली महाविधालय, संस्कृति भवन इत्यादि अति महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है, एवं इसका संधारण संबंधी कार्य भी किया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के शासकीय लगभग 6000 आवास ग्हों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है इसके साथ ही राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तर के पार्कों का विकास किया गया है यथा एकांत पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क पांच नंबर पर जवाहर बाल उधान, स्वराज पार्क इत्यादि एवं इन पार्कों के संधारण का कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

# एम.पी.हाउसिंग बोर्ड

**प्रधान कार्यालय : मदर टेरेसा मार्ग : पर्यावास भवन : भोपाल**

**:: टीप ::**

| | |
|---|---|
| विभाग का नाम | आवास एवं पर्यावरण विभाग |
| उपक्रम का नाम | एम.पी.हाउसिंग बोर्ड |
| मंत्री का नाम | श्री जयन्त मलैया |

**सचिवालय**

| | |
|---|---|
| प्रमुख सचिव का नाम | श्री पी. डी. मीणा |
| उपसचिव का नाम | श्री संतोष मिश्रा |
| अवर सचिव का नाम | श्री सी. बी. पड़वार |

**भाग–1**

**विभाग अध्यक्ष**

| | |
|---|---|
| **विभागीय संरचना** | एम.पी.हाउसिंग बोर्ड |
| **अध्यक्ष** | श्री सुब्रुतो बेनर्जी |
| **आयुक्त** | श्री जे. एस. माथुर (आई. ए. एस.) |
| **अपर आयुक्त(एन.)** | श्री आर. के. नवानी |
| **अपर आयुक्त(एस.)** | श्री ए. के. शुक्ला |
| **अधीनस्थ कार्यालय** | उपायुक्त कार्यालय (आठ) संभागीय कार्यालय (तीस) |

**विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण :–** उपरोक्तानुसार

**विभाग के दायित्व**

विभिन्न श्रेणियों के आवासीय भवनों का निर्माण भूखंडों का विकास व्यवसायिक संपत्तियों का निर्माण तथा निक्षेप कार्य। उक्त कार्यों से संबंधित गुणात्मक सुधार हेतु शोध एवं विकास करना।

**विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताएं**

निर्मित संपत्तियों को सामान्य शर्तो पर हितग्राहियों को उपलब्ध कराना एवं आसान किश्तों पर पुर्नभुगतान की सुविधा प्रदान करना। निर्मित भवनों एवं भूखंडों की उपलब्धियां।

# महत्वपूर्ण सांख्यिकी

## {1} स्थापना :–

मध्यप्रदेश में एम.पी.हाउसिंग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई तथा नियमितिकरण वर्ष 1972 में हुआ। बोर्ड की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर अनिवार्य नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये बोर्ड वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में सहायता प्राप्त करता है। ऋणों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा बोर्ड को गारंटी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी बोर्ड की विभिन्न आवासीय योजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नागरिकों को आवासीय सुविधा के साथ साथ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य डिपाजिट कार्य के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण माप दण्डों के अनुसार बोर्ड समस्त आवासीय योजनाओं में सभी वर्गो के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कमजोर वर्ग की योजनाओं में पांच प्रतिशत का अध्यक्षीय अंश आरक्षित है।

## { 2 } निर्माण एवं विकास कार्य :–

बोर्ड की स्थापना से 31 मार्च 2005 तक बोर्ड द्वारा विभिन्न आय वर्ग की श्रेणियों के लिये 1.387 लाख आवासगृह तथा 1.538 लाख भूखंड हितग्राहियों के लिये निर्मित एवं विकसित किये गये हैं। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स,शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन आदि के लिये भी 3800 भवनों को निर्मित कराया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 2004–2005 में शासन द्वारा बोर्ड के लिये 1400 भूखंड एवं 2000 भवन के निर्माण एवं विकास का लक्ष्य एम.ओ.यू. के अन्तर्गत निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध 1470 भूखंड एवं 2127 भवनों को विकसित एवं निर्मित किया गया है। जिन पर रू0. 113.17 करोड़ का व्यय हुआ है।

वर्ष 2005–2006 की अवधि में 1400 भूखंड एवं 2000 भवन निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये रू0 100.00 करोड का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

आवास मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है। इस अहम मानवीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवास तथा विकास के व्यवस्थित क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र शासन की आवास नीति के अनुरूप मध्यप्रदेश द्वारा भी 1995 में आवास नीति लागू की गई। इस आवास नीति में राज्य सरकार द्वारा अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निजी विकास संस्थाओं/निजी निवेशकर्ताओं हेतु सहयोगात्मक वातावरण के निर्माण करने का प्रयास किया गया है जिससे निर्माण कार्यों में संलग्न संस्थाएँ प्रभावी बन सकें तथा आवास समस्या के समाधान हेतु त्वरित होकर एक अहम भूमिका निभाने में सहभागी हो सके।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 6 करोड़ आंकी गई है जिसके अन्तर्गत लगभग 140 लाख परिवार शामिल हैं। इनमें से 104 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में एवं 36 लाख परिवार शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। उन परिवारों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए किये

गये प्रयासों के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः 81 लाख एंव 28 लाख आवास उपलब्ध है। इस दृष्टि से देखा जाये तो पूरे प्रदेश में 31 लाख आवासों की कमी आज भी विद्यमान है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर उसका प्रभावी निराकरण करना, स्वेच्छिक तथा स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना तथा आवास निर्माण की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में प्रक्रियाओं एवं नियमों के सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य लेकर आवास नीति 1995 को पुनः पुनरीक्षित करते हुए आवास नीति 2004 का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

आवास निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भी प्रयास प्रारंभ किये गये हैं तथा इस संबंध में कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रारंभ हो गया है। आवास एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा योजनाओं के वित्तीय पोषण हेतु हुडको, एन.एच.बी. एवं एच.डी.एफ.सी आदि संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। यह ऋण राज्य शासन की गारंटी के विरूद्ध दिया जाता है। ऋण दिये जाने की प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

'वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना' हेतु जो सीलिंग सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है उसके अन्तर्गत आज के परिप्रेक्ष्य में भवन सामग्री की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए इस सीमा को क्रमशः रू. 65,000/– रू. 55,000/– एवं रू. 45,000/– पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि भवनों का निर्माण आसानी से तथा अधिक सफलता से संपन्न कराये जा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों द्वारा इन भवनों के खरीदने में 50 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने में कठिनाई का अनुभव किया गया है इस बारे में केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि यदि अनुदान की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत की जाती है तो निश्चित रूप से हितग्राहियों के लिए यह बहुत लाभदायक होगा तभी अधिक से अधिक लोग भवनों को लेने में आगे आयेंगे।

प्रदेश के बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए आवासीय समस्या के निराकरण हेतु संभागीय स्तर पर ''सेटेलाइट टाउन'' निर्मित किये जाने की योजना पर भी राज्य शासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है जिनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी भूमि का उपयोग आवास समस्या हल करने के लिए उपयोग में लाने बावत् राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रिडिन्सीफिकेशन) योजना तैयार की गई है। इस प्रकार जो योजना तैयार की जा रही है उसमें प्रथमतः भोपाल में एक सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की अवधारणा पर परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल, बायोटेक्नॉलाजी/आई.टी. पार्क आदि के समायोजन के साथ व्यवसायिक तथा आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मध्यप्रदेश में विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को भवन निर्माण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निमिर्तीकेन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में म.प्र.गृह निर्माण मण्डल की सहवर्ती संस्था म.प्र.आवास विकास संस्थान द्वारा 18 निर्मिती केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन निर्मिती केन्द्रों में उत्पादित ''लागत प्रभावी'' भवन सामग्री मुख्यतः मण्डल संचालित योजनाओं में की जा रही है तथा केन्द्रीय, प्रदेश के अन्य विभाग तथा जनता को उनकी मांग के अनुरूप सामग्री का विक्रय भी किया जा रहा है। भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश ईटों तथा उर्जा अवरोधी सामग्री का भी उपयोग किया जा रहा है, इस संबंध में निरन्तर अनुसंधान भी चल रहे हैं। उर्जा खपत एवं प्रदूषण को कम करने के लिए कम उर्जा खपत वाली निर्माण तकनीकी एवं

सामग्रियों के उपयोग बावत् भी प्रदेश अग्रसर है। अनेक वैकल्पिक नूतन निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान बावत् केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं कमजोर आय वर्ग के लोगों को उचित दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से व प्रदेश की आवास समस्या के समाधान हेतु मध्य प्रदेश निर्माण मंडल की स्थापना की गई है।

### भाग–1 :– संरक्षात्मक उपाय

1– म.प्र.गृह निर्माण मण्डल द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिये मण्डल की अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्षो के लिये आरक्षण रखकर लाभ पहुंचाने का कदम उठाया है। आरक्षित वर्ग के लिये पूर्ण लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये संपत्ति अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2– आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों की भू–हस्तांतरण पर रोक होना चाहिये, जिससे अनुदान प्राप्त भवन/भूखण्ड का हस्तांतरण नहीं हो सके तथा यदि होता है तो अनुदान राशि सहित बाजार मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत हस्तांतरण में जमा कराना चाहिये।
3– अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को भूखण्ड आवंटन करने के पश्चात् हितग्राहियों द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा रहा है, तथा आधिपत्य भी प्राप्त नहीं किया जा रहा है, इसके साथ ही किसी ने आधिपत्य लिया भी है तो भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण होने पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके लिये शासन स्तर से कार्यवाही की जाना चाहिये।

## भाग – 2 :– विकास कार्य

1– वित्तीय वर्ष 2004–05 में मण्डल की विभिन्न योजनाओं पर रूपये 113.17 करोड़ की राशि व्यय की है। जिसके अंतर्गत 2127 भवन एवं 1470 भूखण्डों का विकास कार्य का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। जबकि योजना निधि के अंतर्गत मांग संख्या 41 एवं 64 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना और विशेष घटक योजना अंतर्गत कोई राशि शासन से प्राप्त नहीं हो सकी है। जिससे कि मण्डल की योजनाएं प्रभावित हो गई हैं, जिससे आदिवासी अनुसूचित जाति/जनजाति के कम लोग लाभान्वित होंगे। यदि राशि उपलब्ध कराई जाती है तो मण्डल की चल रही योजनाओं में से और भी लाभ कमजोर आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को दिया जा सकता है।
2– विगत वर्षो की तुलना में बढ़ती मंहगाई से विकास कार्यों की गति में कमी आई है। अतः शासन से आग्रह है कि वित्तीय बजट से और अधिक राशि मण्डल को उपलब्ध करावें, जिससे अधिक लाभ दिया जा सके।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अपनी आवासीय गतिविधियों के साथ–साथ अन्य केन्द्र शासन, राज्य शासन व उनके उपक्रमों हेतु भी निक्षेप कार्यो को सम्पादित करता है। इस कड़ी में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। मण्डल की पॉच वर्षो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार रही है :–

**(1) भवन निर्माण :**

| क्रमांक | विवरण | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ई.डब्ल्यू.एस. | 50 | 417 | 264 | 180 | 400 |
| 2. | एल.आई.जी. | 1142 | 532 | 560 | 1026 | 600 |
| 3. | एम.आई.जी. | 473 | 846 | 718 | 554 | 800 |
| 4. | एच.आई.जी. | 506 | 423 | 464 | 367 | 400 |
| | कुल | 2171 | 2218 | 2006 | 2127 | 2200 |

**(2) भूखण्ड विकास :**

| क्रमांक | विवरण | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ई.डब्ल्यू.एस. | 775 | 707 | 298 | 363 | 300 |
| 2. | एल.आई.जी. | 1255 | 414 | 739 | 420 | 500 |
| 3. | एम.आई.जी. | 938 | 716 | 482 | 411 | 500 |
| 4. | एच.आई.जी. | 372 | 271 | 207 | 276 | 300 |
| | कुल | 3340 | 2108 | 1726 | 1470 | 1600 |

**(3) भू–अर्जन :**

| क्रमांक | विवरण | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भू–अर्जन(हैक्टर) | 113.39 | 49.708 | 40.402 | 53.40 | 60.00 |

**(4) टर्न ओव्हर :**

| क्रमांक | विवरण | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निर्माण कार्य एवं विकास कार्य पर वार्षिक व्यय | 87.99 करोड़ | 94.04 करोड़ | 104.88 करोड़ | 113.17 करोड़ | 120.00 करोड़ |

**(5) स्वीकृत परियोजनाएँ :**

| क्रमांक | विवरण | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें | 2880.57 | 15214.51 | 14919.46 | 6250.00 | 8000.00 |
| 2. | उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत परियोजनायें | 6861.99 | 9356.59 | 7141.11 | 3899.92 | 5000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | उपरोक्त परियोजनाओं में से वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण | 7353.45 | 3515.05 | 4582.60 | 2770.84 | 4000.00 |

**(6) प्रशासनिक व्यय :–**

| **क्रमांक** | **विवरण** | **2001–02** | **2002–03** | **2003–04** | **2004–05** | **2005–06 (अनुमानित)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रशाासनिक व्यय | 2515.41 | 2593.36 | 2779.14 | 2388.00 | 2300.00 |

## भाग – तीन
## बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

2.1 **शासकीय बजटः–** वर्ष 2005–06 में शासन के बजट से म. प्र. गृह निर्माण मंडल को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये राज्य शासन से गारंटी प्राप्त होती है। आलोच्य वर्ष में कुल रूपये 86.75 लाख की राशि गारंटी फीस के रूप में भुगतान करने का प्रस्ताव है। प्रावधानित गारंटी फीस के विरूद्ध वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान किया जायेगा।

2.2 **मण्डल का आंतरिक बजटः**– वर्ष 2005–06 में निर्माण एवं विकास कार्यो के लिये रूपये 20643.29 लाख का मण्डल के बजट में प्रावधान अनुमोदित है। इसके विरूद्ध संभावित लगभग रूपये 6366.30 लाख का व्यय 12/05 तक हो चुका है।

**योजनावार विवरण निम्नानुसार हैः–**

| क्रमांक | योजना | प्रावधान (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य | 173.96 |
| 2 | स्वयं वित्तीय | 1734.89 |
| 3 | हुडको | 8260.47 |
| 4 | एच.डी.एफ.सी. | 1291.74 |
| 5 | एन.एच.बी. | 70.00 |
| 6 | डिपाजिट वर्क | 7512.93 |
| 7 | अन्य | 1599.36 |
| | **योगः–** | **20643.29** |

भूमि अधिग्रहण हेतु रूपये 5580.14 लाख का बजट प्रावधान अनुमोदित है। ऋणाों के भुगतान के अंतर्गत इस वर्ष ऋण एवं ब्याज के रूप में राज्य शासन एवं वित्तीय संस्थाओं को रूपये 7026.65 लाख का पुनर्भुगतान का प्रावधान रखा गयाहै। जिसमें ब्याज राशि रूपये 2200.00 लाख का भुगतान भी सम्मिलित है।आलोच्य अवधि में मण्डल को रूपये 38136.64 लाख की राशि निम्न साधनों से प्राप्त होना प्रस्तावित है :–

| कमांक | स्त्रोत | प्रस्तावित प्राप्तियां(रू0लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | डिवेन्चर | – |
| 2 | वित्तीय संस्थायें | 4524.25 |
| 3 | अन्य प्राप्तियां | 116.62 |
| 4 | संपत्ति प्रबंधन | 21576.60 |
| 5 | निक्षेप कार्य | 8617.36 |
| 7 | विविध | 3301.81 |
| | **योगः** | **38136.64** |

## अन्य योजनाएंः–

3.4 **आंतरिक एवं वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त योजनाएः–** वर्ष 2004–2005 में अब तक विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 10 योजनायें लागत रूपये 39.00 करोड़ के लिये रूपये 27.71 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। वित्तीय संस्थावार विवरण निम्नानुसार है तथा वर्ष 2005–06 का दिसम्बर 2005 तक का योजनावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :–

| क्रमांक | वर्ष | स्वीकृत योजनाओं की संख्या | परियोजना लागत (रू. लाख में) | स्वीकृत ऋण (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| | | **हुडको योजना** | | |
| 1 | 2001–2002 | 11 | 4851.31 | 3532.08 |
| 2 | 2002–2003 | 8 | 1739.29 | 1388.53 |
| 3 | 2003–2004 | 10 | 4989.77 | 4238.42 |
| 4 | 2004–2005 | 5 | 933.10 | 831.34 |
| 5 | 2005–2006 | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| | **योग (हुडको)** | 34 | 12513.47 | 9990.37 |
| | | **एच. डी. एफ. सी.** | | |
| 1 | 2001–2002 | 3 | 1100.00 | 825.00 |
| 2 | 2002–2003 | 6 | 4687.00 | 3210.00 |
| 3 | 2003–2004 | 8 | 2151.34 | 1613.88 |
| 4 | 2004–2005 | 2 | 832.81 | 259.67 |
| 5 | 2005–2006 | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| | **योग(एच.डी.एफ.सी.)** | **19** | **8771.15** | **5938.55** |
| | | **एन.एच.बी.** | | |
| 1 | 2001–2002 | | | |
| 2 | 2002–2003 | 3 | 3409.80 | 2570.95 |
| 3 | 2003–2004 | – | – | – |
| 4 | 2004–2005 | 3 | 2134.01 | 1679.83 |
| 5 | 2005–2006 | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| | **योग (एन.एच.बी.)** | 6 | 55.23.81 | 4250.78 |

## मण्डल की निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित प्रमुख योजनाएँ :–

| क्र. | योजना का नाम | लागत (रू.लाख) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| | **भोपाल क्षेत्र :** | | |
| 1. | प्लेटिनम पार्क/प्लेटिनम प्लाजा आवासीय सह व्यवसायिक योजना | 3664.00 | यह योजना मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में पूर्ण की गई है। इसके अन्तर्गत 145 प्रकोष्ठ भवन, 92 दुकानें एवं कार्यालयीन कक्ष निर्मित हैं। |
| 2. | व्यवसायिक परिसर सेन्टर पाइन्ट | 1100.00 | 5 मंजिला भव्य व्यवसायिक परिसर वर्ष 2004–05 में पूर्ण किया है एवं इसके अन्तर्गत 25 दुकाने तथा लगभग 80000 वर्गफीट कार्यालय हॉल हैं। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | मेट्रो प्लाजा व्यवसायिक परिसर | 700.00 | यह परिसर वर्ष 2004–05 में पूर्ण किया है। इसके अन्तर्गत 50 दुकाने एवं लगभग 60,000 वर्गफीट कार्यालयीन हॉल निर्मित हैं। |
| 4. | सारनाथ काम्पलेक्स | 150.00 | बोर्ड आफिस के सामने एक भव्य व्यवसायिक परिसर का निर्माण दुकानों के व्यवस्थापन हेतु व कार्यालयीन हॉल का निर्माण प्रगति पर है। |
| 5. | रिवेयरा टाऊन | 2000.00 | यह योजना इसी वर्ष प्रारम्भ की गई है व इसके अन्तर्गत 134 उच्च आय वर्ग भवन निर्माणाधीन हैं एवं इसके आगामी एक वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 6. | बाग सेवनिया में 378 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण | 737.00 | इस योजना के अन्तर्गत 160 भवनों का निर्माण प्रगति पर है व शेष भवनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर आगामी एक वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 7. | बल्मिकी अम्बेडकर आवासीय योजना | 450.00 | बाग सेवनिया, अयोध्या एवं बाग मुगालिया में 693 भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया है एवं 112 भवनों का निर्माण अयोध्या में प्रगति पर है। |
| 8. | हथाईखेड़ा, भोपाल | 325.00 | हथाईखेड़ा भोपाल में नवीन कुककुट परिसर का निर्माण निक्षेप कार्य के रूप में कुककुट एवं पशु पालन विभाग के लिए किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं आगामी एक वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 9. | विकास कार्य अयोध्या फेस–4 | 125.00 | अयोध्या नगर में 18 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। |
| 10. | अनुसूचितजाति कल्याण विभाग का परिसर | 394.00 | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए मॉडल स्कूल परिसर का निर्माण कटारा हिल्स में प्रगति पर है। इसे आगामी एक वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। |
| 11. | जी.टी.बी.काम्पलेक्स के जीर्णोद्धार की योजना | 90.00 | मण्डल द्वारा निर्मित जी.टी.बी.काम्पलेक्स के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत आर.सी.सी. रोड के निर्माण को पूर्ण किया गया है व परिसर के अन्य सुधार के कार्य प्रगति पर हैं। |
| 12. | अयोध्या उपनगर में व्यवसायिक परिसर का निर्माण | 463.00 | भोपाल स्थित अयोध्या उपनगर में भव्य व्यवसायिक परिसर का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में प्रगति पर है। |
| **क्र.** | **योजना का नाम** | **लागत (रू.लाख)** | **वर्तमान स्थिति** |
| 13. | साऊथ टी.टी.नगर में सरदार पटेल स्कूल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में शापिंग मॉल का निर्माण | 2000.00 | शासन से प्राप्त पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत 15 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव है व इस भूमि के अन्तर्गत भव्य व्यवसायिक परिसर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | का निर्माण प्रस्तावित है। |
| 14. | जी.टी.बी.काम्पलेक्स | 397.00 | जी.टी.बी.काम्पलेक्स में मण्डल की उपलब्ध भूमि पर व्यवसायिक सह आवासीय परिसर का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में प्रगति पर है। |
| 15. | अरेरा हिल्स स्थित 7.5 एकड़ भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण | 2000.00 | शासन से अरेरा हिल्स पर 7.50 एकड़ भूमि आरक्षित होकर आवासीय योजना के क्रियान्वयन की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है। |
| 16. | संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ | 1300.00 | संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत चिकित्सा परिसर में 200 शैया हास्पिटल व व्यवसायिक परिसर के निर्माण की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है। |
| 17. | हमीदिया हास्पिटल का विस्तार | 850.00 | हमीदिया हास्पिटल के विस्तार के अन्तर्गत विभिन्न वार्डो एवं व्यवसायिक परिसर के निर्माण की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है। |
| 18. | एम.पी.नगर स्थित संजय नगर की भूमि पर मल्टी प्लेक्स की योजना | 1500.00 | शासन से संजय नगर में झुग्गियों को विस्थापित कर प्राप्त होने वाली 6.5 एकड़ भूमि पर एक भव्य व्यवसायिक मल्टीप्लेक्स के निर्माण की योजना प्रारम्भिक चरणों में प्रगति पर है। |
| | **ग्वालियर क्षेत्र :** | | |
| 1. | सिंधिया इन्क्लेव, दर्पण कालोनी | 1054.00 | इस आवासीय परिसर का निर्माण लगभग पूर्णता पर है। |
| 2. | 102एम.आई.जी. डुप्लेक्स भवन, दीनदयाल नगर | 393.00 | योजना लगभग पूर्णता पर है। |
| 3. | 30 एच. आई. जी. डुप्लेक्स भवन, दीनदयाल नगर | 248.00 | निर्माण कार्य प्रगति पर है। |
| 4. | व्यवसायिक परिसर कर्णकुंज, दतिया | 85.00 | निर्माण कार्य प्रगति पर है। |
| 5. | 22 एम. आई. जी. जूनियर, दीनदयाल नगर | 58.00 | निर्माण कार्य प्रगति पर है। |
| 6. | 30 एम. आई. जी. डुप्लेक्स, दीनदयाल नगर | 150.00 | निर्माण कार्य प्रगति पर है। |
| 7. | 20 एच.आई.जी. भवन दीनदयाल नगर | 134.00 | निर्माण कार्य प्रगति पर है। |
| 8. | 134 विभिन्न श्रेणी के भवन, दीनदयाल नगर | 555.00 | निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 9. | पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत राजीव प्लाजा का निर्माण | 653.00 | इस योजनान्तर्गत स्कूल भवन का निर्माण प्रगति पर है। |
| | **इन्दौर क्षेत्र :** | | |
| 1. | राऊ इन्दौर में आवासीय योजना | 746.00 | विभिन्न श्रेणी के 142 भवनों का निर्माण विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। |
| 2. | फारच्यून सिटी | 1005.00 | पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत जेल में उपलब्ध 7. 5 एकड़ भूमि के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 105 भवनों का निर्माण प्रारम्भिक चरण में प्रगति पर |

| | | | है। |
|---|---|---|---|
| **क्र.** | **योजना का नाम** | **लागत (रू.लाख)** | **वर्तमान स्थिति** |
| 3. | सांवेर रोड पर सेन्ट्रल जेल का निर्माण | 3354.00 | पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत सेन्ट्रल जेल हेतु योजना प्रगति पर है व कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण पूर्ण किया गया है। |
| 4. | राऊ इन्दौर बायपास रोड पर 23. 35 एकड़ भूमि का विकास कार्य | 816.50 | योजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर प्रगति प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 5. | राऊ इन्दौर में 150 एकड़ भूमि का अर्जन प्रस्ताव | 1500.00 | राऊ इन्दौर में उपनगर के लिए 150 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव जिलाध्यक्ष को प्रेषित है। |
| 6. | वत्सला विहार खण्डवा में 10.09 एकड़ भूमि पर 76 भवनों का निर्माण | 771.00 | इस योजना का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 7. | नागचून रोड खण्डवा में 13 एकड़ भूमि का विकास एवं 77 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण | 512.00 | इस योजना का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में होकर प्रगति पर है। |
| 8. | बड़वाह जिला खरगोन में 7.00 एकड़ भूमि पर 93 भवनों का निर्माण | 427.00 | प्रगति पर है। |
| 9. | खरगौन में 172 भवनों का निर्माण | 685.00 | कार्य प्रगति पर है। |
| 10. | सुखदेव विहार झाबुआ में 5 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना | 340.00 | योजना का निर्माण प्रगति पर है। |
| | **जबलपुर क्षेत्र :** | | |
| 1. | 'सत्यमेव जयते' परिसर का निर्माण | 900.00 | पुनर्घनत्वीकरण योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। |
| 2. | धनवंतरी नगर, जबलपुर में 218 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण | 765.00 | इस योजना का निर्माण लगभग पूर्णता पर है। |
| 3. | पुरवा जबलपुर में 108 ई.डब्ल्यू. एस. भवनों का निर्माण | 101.00 | इस योजना का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है। |
| 4. | महाराजपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण | 315.00 | योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 5. | राजीव नगर, मण्डला में विभिन्न श्रेणी के 53 भवनों का निर्माण | 134.00 | योजना का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 6. | चंदनगॉव छिन्दवाड़ा में व्यवसायिक सह आवासीय परिसर का निर्माण | 125.00 | इस योजना में 40 दुकानें निर्मित हो चुकी हैं। प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 7. | चंदनगॉव छिन्दवाड़ा में 41 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण | 124.00 | इस योजना का निर्माण प्रगति पर है। |
| 8. | वृन्दावन विहार कटनी में 51 एच. आई.जी. भवन एवं विकास कार्य | 550.00 | योजना प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 9. | मानसरोवर कालोनी कटनी में | 222.00 | योजना का निर्माण पूर्णता पर है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | विभिन्न प्रकार के कुल 119 भवनों का निर्माण कार्य | | |
| 10. | पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत टीकमगढ़ में व्यवसायिक सह आवासीय योजना | 171.00 | पुनर्घनत्वीकरण योजना के अन्तर्गत 49 दुकानों व 20 प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण प्रगति पर है। इसी वर्ष पूर्ण करना प्रस्तावित है। |
| | **उज्जैन क्षेत्र :** | | |
| 1. | लक्ष्मीनगर, उज्जैन में 15 एच.आई.जी. भवनों का निर्माण | 96.00 | योजना का निर्माण पूर्णता की ओर है। |
| **क्र.** | **योजना का नाम** | **लागत (रू.लाख)** | **वर्तमान स्थिति** |
| 2. | 176 भवन, इन्दिरा नगर नीमच | 483.00 | योजना का निर्माण प्रगति पर है। |
| 3. | अलकापुरी रतलाम में 1.53 हैक्टर भूमि का विकास एवं 92 भवनों का निर्माण कार्य | 203.00 | योजना का निर्माण प्रगति पर है। |
| 4. | कुरावर रोड कालापीपल जिला शाजापुर में 5.00 एकड़ भूमि का विकास एवं 46 भवनों का निर्माण | 54.00 | योजना का कार्य प्रगति पर है। |
| 5. | नीमनवासा उज्जैन में 8.74 एकड़ भूमि का विाकस कार्य एवं 139 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण | 1263.00 | योजना का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में प्रगति पर है। |
| 6. | हामुखेड़ी उज्जैन में 4.76 हैक्टर भूमि का विकास | 236.00 | योजना की प्रगति प्रारम्भिक चरणों में है। |
| | रीवा क्षेत्र : | | |
| 1. | दीनदयाल नगर, रीवा में व्यवसायिक परिसर का निर्माण | 221.00 | योजना की प्रगति प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 2. | शांति विहार रीवा में व्यवसायिक परिसर का निर्माण | 70.00 | योजना की प्रगति प्रारम्भिक चरणों में है। |
| 3. | पड़रा रीवा में 48 एकड़ भूमि का विकास कार्य एवं विभिन्न श्रेणी के 419 भवनों का निर्माण | 2037.00 | योजना का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में प्रगति पर है। |
| 4. | चिरहुला रीवा में 54 भवनों का निर्माण | 105.00 | 50 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। |
| 5. | कुलगवॉ सतना में 38 विभिन्न श्रेणी के भवनों का निर्माण | 148.00 | योजना का निर्माण प्रारम्भिक चरणों में होकर प्रगति पर है। |
| 6. | नागौद, सतना में 5 एकड़ भूमि का विकास एवं 134 भवनों का निर्माण | 287.00 | योजनान्तर्गत विकास कार्य प्रगति पर है। |

उपरोक्तानुसार गृह निर्माण मण्डल सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अपनी लगभग 59 प्रमुख योजनाओं का निर्माण जिनकी लागत रूपये 403.4 करोड़ है, का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त गृह

निर्माण मण्डल विभिन्न विभागों हेतु निक्षेप कार्य के रूप में भी लगभग 50 करोड़ के निर्माण कार्य निष्पादित कर रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से केन्द्रीय विद्यालय, पुलिस विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग के नर्माण कार्य हैं। मण्डल अपनी आवासीय योजनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 2000 हितग्राहियों को लाभान्वित करता है व लगभग 140.00 करोड़ के निर्माण कार्यो को निष्पादित कर विभिन्न स्वरूप के निर्माण प्रदेश के हितग्राहियों को उपलब्ध कराता है।

## भाग : – 4
## मंडल की वर्ष 2006 – 2007 की योजनायें

वर्ष 2006–2007 हेतु मंडल द्वारा 2000 भवन तथा 1400 भूखंड निर्मित/ विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय भूखण्ड एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय विभागों एवं अर्ध शासकीय उपक्रमों के लिए निक्षेप कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

### 1– केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली :
मण्डल को देश एवं प्रदेश के बाहर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 40.00 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत किये गये थे। इन कार्यो में से 10.00 करोड़ के कार्य निष्पादित किये जा चुके हैं एवं 15.00 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, तथा शेष 15.00 करोड़ के निर्माण कार्य वर्ष 2006–2007 हेतु प्रस्तावित हैं।

### 2– आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के निक्षेप कार्य :
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आवासीय होस्टल भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लगभग 9.00 करोड़ की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी। इसके अन्तर्गत रूपये 3.50 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य प्रारम्भ किया जा रहे हैं, व 5.00 करोड़ के निर्माण कार्य वर्ष 2006–2007 हेतु प्रस्तावित हैं।

### 3– तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्माण कार्य :
तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राघौगढ़, बड़वानी, छिन्दवाड़ा, भिण्ड एवं कटनी में शासकीय पालीटेक्निक भवनों के निर्माण कार्य की लगभग रूपये 8.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यो में से लगभग 2.00 करोड़ के कार्य सम्पादित किये जा चुके हैं। शेष निर्माण कार्यो में से लगभग रूपये 2.00 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष निर्माण कार्य हेतु विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरान्त वर्ष 2006–2007 में निर्माण कार्य की कार्यवाही की जा सकेगी।

## मण्डल की आगामी वर्षों में आने वाली प्रमुख योजनाएँ

⇒ समाज के कमजोर एवं उपेक्षित तबके के जीवन स्तर में सुधार एवं उन्नयन हेतु शासन की नीति अनुरूप पूरे प्रदेश में 5000 अम्बेकर बाल्मिकी भवनों का निर्माण, जिससे प्रदेश की सर्वहारा जनता को सुदृढ़ आवास उपलब्ध हों।

⇒ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। गृह निर्माण मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही

सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

⇒ विकसित एवं विकासशील शहरों में विभिन्न प्रकार की पुनर्निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन, ताकि प्रदेश की छबि एक विकसित प्रदेश के रूप में हो, जिससे पूरे देश के व्यवसायी/विकासकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होकर प्रदेश में निवेश करें।

⇒ देश के विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक विपदा की स्थिति में तत्परता से सहयोग/पुनर्निर्माण – भुज में गुजरात भूकम्प पीड़ितों हेतु भवन निर्माण एवं वर्तमान में सुनामी पीड़ितों हेतु तमिलनाडू में आवासीय योजना प्रस्तावित।

⇒ पूरे प्रदेश में कम मूल्य की निर्माण सामग्री का समुचित प्रचार एवं प्रसार हो, इस हेतु मुख्य निर्माण एजेन्सी के रूप में इन तकनीकी का क्रियान्वयन तथा निर्मिति केन्द्रों के माध्यम से प्रचार।

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

**व्यवसायिक परिसरों का निर्माण**

⇒ जी.टी.बी.काम्पलेक्स

⇒ सेटेलाइट प्लाजा

⇒ रीवा, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़ में विभिन्न व्यवसायिक परिसरों का निर्माण।
उपरोक्त की कुल लागत रू.15.00 करोड़।

⇒ समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग हेतु आधुनिक रिवेयरा टाउन भोपाल, फारच्यून सिटी इन्दौर, निमनवास उज्जैन, नीमच, पड़रा रीवा, दीनदयाल नगर ग्वालियर – लागत रू. 95.00 करोड़।

⇒ नेहरूनगर में 4.81 एकड़ एवं 13.00 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना – लागत रू. 90.00
कुक्कुट पालन केन्द्र माता मंदिर के पास 13.71 एकड़ भूमि अर्जन कर रिवेयरा टाउन की योजना प्रारम्भ की गई है। निर्माण एवं भूमि विकास की निविदाएं आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ किया गया है – लागत रू. 9.00 करोड़।

⇒ वाणिज्यिक परिसर फेस–2 दीनदयालनगर ग्वालियर – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 28 एचआईजी जूनि. एवं 10 एचआईजी सीनियर, सेक्टर जी' दीनदयालनगर ग्वालियर – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 214 एलआईजी सेक्टर जी दीनदयालनगर ग्वालियर – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 14 एमआईजी जूनि., एवं 20 एमआईजी डीलक्स ए.बी.डी. 48 एमआईजी सेक्टर जी, दीनदयालनगर ग्वालियर – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 11 एमआईजी जूनि. एवं 11 एचआईजी सीनियर सेक्टर जी, दीनदयालनगर ग्वालियर – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 43 एमआईजी द्वितीय, 47जूनि. एचआईजी, 109 सीनियर एलआईजी मयूरवन मुरैना – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 32 एम.आई.जी. डुप्लेक्स एम.ओ.जी. लाईन इन्दौर – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 23.35 एकड़ भूमि का विकास कार्य ए..बी.रोड राऊ – लागत रू. 13.00 करोड़।

⇒ 3.15 एकड़ भूमि पर आवासीय सह वाणिज्यिक योजना – लागत रू. 33.00 करोड़।

⇒ बडवानी स्थित 6.48 एकड़ भूमि पर 8 उ.आ.व. सीनियर, 20 उ.आ.व., 23 म.आ.व. एवं एल. आई.जी. के कार्य – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ 7.00 एकड़ भूमि बडवाह (खंडवा) पर आवासीय योजना 16 उ.आ.व., 21 सीनियर म.आ.व., 38 जूनियर म.आ.व., 18 एल.आई.जी – लागत रू. 3.00 करोड़।

⇒ निर्माण कार्य 21 एचआईजी जूनि., 62 एमआईजी जूनि., 36 एलआईजी जूनि., 58 ईडब्ल्यूएस एवं 2.813 हे. भूमि का विकास नीमच – लागत रू. 5.00 करोड़।

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश के विकास/रोजगार/ अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होकर प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

## भाग – 5
## सामान्य प्रशासनिक विषय

4.1 न्यायालयीन प्रकरण :– वर्ष 2004 की अवधि में कुल 169 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये हैं, जिनमें से 87 प्रकरणों का निराकारण हो चुका है। ठीक इसी तरह वर्ष 2005 की अवधि में कुल 134 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये हैं, जिनमें से 96 प्रकरणों का निराकारण हो चुका है। जो 22.66 प्रतिशत है। न्यायालाय वार दर्ज प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्रमांक | न्यायालय | दर्ज प्रकरण | | | निर्णित प्रकरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | सर्वोच्च न्यायालय | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 0 |
| 2 | मध्यस्थम अधिकरण | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | राज्य उपभोक्ता आयोग | 42 | 20 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 4 | राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग | 9 | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | उच्च न्यायालय जबलपुर | 56 | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 6 | उच्च न्यायालय ग्वालियर | 16 | 10 | 0 | – | – | 0 |
| 7 | उच्च न्यायालय इन्दौर | 15 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 8 | जिला उपभोक्ता फोरम | 24 | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 9 | जिला न्यायालय | – | – | | – | – | |
| 10 | श्रम न्यायालय | – | – | | – | – | |
| 11 | औद्योगिक न्यायालय | – | – | | – | – | |
| 12 | अन्य न्यायालय | – | – | | – | – | |
| | योग | | – | | | – | |
| | | 169 | 138 | | 87 | 96 | |

भाग – 6

**प्रशासनिक शाखा से संबंधित वांछित जानकारी निम्न प्रकार है:–**

**जांचः–** बोर्ड का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है इसके अंतर्गत सम्पत्ति निर्माण एवं विक्रय तथ अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आधार पर उक्त अवधि में जांच प्रकरण प्रस्तावित किये गये । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 22 प्रकरण जनवरी 2006 तक दर्ज किये गये थे, वर्ष 01. 04.2005 से 31.01.2006 तक मंडल के अधिकारियों/कर्मचारियों के बिरूद्ध कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये गये हैं, जिनमें से एक प्रकरण पर निर्णय लिया गया है, तथा 2 एवं 2 क्रमशः अप्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निर्णय अपेक्षित स्थितियों में है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में 12 प्रकरण दर्ज हुये थे। जिसमें से सभी पर निर्णय अपेक्षित हैं। प्रकरणों से संबंधित जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

**आई.एस.ओ.–9001 :–**

मण्डल द्वारा आवासीय भवनों की गुणवत्ता के साथ–साथ समय से पूर्ण करने तथा लागत में कमी करने एवं उपभोक्ताओं के संतुष्टि के उद्देश्य से आई.एस.ओ.–9001ः 2001 को प्रभावशील बनाने का निर्णय वर्ष 2003 में लिया गया। इसके प्रथम चरण में मण्डल द्वारा भोपाल में कार्यरत संभाग क्रमांक 3, 5 एवं 6 का चयन किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्टीय उत्पादकता संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के सलाहकार के रूप में नामजद किया गया। उनके मार्गदर्शन में आई. एस. ओ. – 9001 : 2001 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये और चयनित संभागों का आंतरिक एवं बाह्य अंकेक्षण कराया गया इसके आधार पर बोर्ड को वर्ष 2004 में आई.एस.ओ.– 9001 प्रमाण पत्र दिया गया। इस प्रयोग से भवनों की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता एवं अन्य स्तरों पर सुधार परिलक्षित होंगे। चूंकि यह तकनीकी सामान्य यांत्रिकी तकनीकी से भिन्न है। अतः इस तकनीकी को अगले 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड के समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी छोड़कर) को उनके व्यक्तित्व विकास, कार्यक्षमता एवं सकारात्मक सोच के संबंध में विभागीय प्रशिक्षण शिविर मुख्यालय एवं वृत्त स्तरों पर आयोजित किये जा रहे हैं।

## उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

उपभोक्ताओं के संतुष्टि प्रदाय करने के उद्देश्य से मण्डल मुख्यालय स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का प्रादुर्भाव जनवरी 2003 में किया गया। इस प्रकोष्ठ में प्रदेश के हितग्राहियों द्वारा भवनों के निर्माण, प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन संबंधी शिकायतेां का समयावधि में निराकरण किया जाता है। गंभीर प्रकरणों के संबंध में समस्या का अध्ययन स्थल निरीक्षण तथा संबंधित मैदानी अधिकारियों के समक्ष अध्ययन किया जाता है। तथा उसे भी दोनों की सहमति से निराकृत किया जाता है। वर्ष 2003 में कुल 232 शिकायतों का पंजीकरण किया गया। जिसमें से 56 भवन निर्माण, 56 प्रबंधन संबंधी, 64 संपत्ति प्रबंधन तथा 56 अन्य शिकायतों से संबंधित थे। उक्त अवधि में पंजीकृत सभी 232 प्रकरणों में से 122 शिकायतों का निराकरण किया गया। जो 52.58 प्रतिशत है। शिकायतों के निराकरण के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा 3 गंभीर प्रकरणों से संबंधित समस्या का स्थल अध्ययन कर उसके संबंध में आवश्यक निराकरण किया गया।

## कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

एम. पी. हाउसिंग बोर्ड द्वारा आई. एस. ओ. 9001 की क्वालिटी मेनेजमेंट सिस्टम मंडल में प्रभावशील की है। निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता बनाये रखने औरएम. पी. हाउसिंग बोर्ड की छबि को उन्नत करने हेतु आवश्यक है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तन–मन से लगन पूर्वक पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। कर्मचारियों में किसी प्रकार का अयंतोष व्याप्त न हो, इसलिये यह सुनिश्चित किया गया कि कर्मचारियों की समस्या का निराकरण त्वरित गति से किया जाय। इस कार्य

को सम्पादन करने हेतु **''कर्मचारी समस्या निवारण प्रकोष्ठ''** का गठन अक्टूबर 2003 में किया गया। इस प्रकोष्ठ में अक्टूबर 2003 से जुलाई 2004 तक 57 प्रकरण प्राप्त हुये थे, जिनका निराकरण प्रकोष्ठ द्वारा 13.7.2004 को आयोजित बैठक में सभी प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

**प्रशासनिक विवरण :–**

| क्रमांक | विवरण | प्रथम श्रेणी | द्वितीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी | चतुर्थ श्रेणी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कार्यरत | 65 | 110 | 1565 | 603 | 2343 |
| 2 | पदोन्नत | 10 | 21 | 84 | 6 | 121 |
| 3 | क्रमोन्नत | कोई नहीं | 12 | 42 | 19 | 73 |
| 4 | स्थानान्तरित | 35 | 37 | 34 | 01 | 107 |

(1) **विभागीय पदोन्नति एवं क्रमोन्नति :–** उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार है।

(2) **विभागीय जांच :–**वर्ष 2005–06 में दिसम्बर 2005 तक मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच की स्थिति उपरोक्तानुसार है।

(3) **नियुक्तियां :–**

**(अ)** माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार 03 कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी एवं 01 कर्मचारी को तृतीय श्रेणी पद पर कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति प्रदान की गई है।

**(ब)** कोटर्मिनस आधार पर 06 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।

(4) **स्थानांतरण :–** वर्ष 2005–06 में निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार है।

## भाग – 7
## राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संघ द्वारा अमल किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। प्राधिकरण संघ में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संघ में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम सहायक वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मुख्यालय में कुल 112 महिला कर्मी है।

## भाग : – 8

हाउसिंग बोर्ड प्रदेश की आवासीय समस्या के निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ से प्रदेश के आवासहीन हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन व भूखण्ड विकसित कर अनिवार्य नागरिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत रहा है।

# मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ

## भाग–एक

## संरचना

मान्नीय मंत्री जी, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग संघ के पदेन अध्यक्ष है । प्रमुख सचिव, म. प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग संघ के पदेन उपाध्यक्ष तथा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संघ के पदेन कार्यपालन संचालक है ।

## अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

## विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण :

प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित–06 विकास प्राधिकरण–भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, 02–विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण–पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट तथा 200–स्थानीय संस्थाऐं–नगर निगम, नगर पालिकाऐं व नगर पंचायतें संघ की सदस्य संस्थाऐं है ! इस प्रकार वर्तमान में 208 संस्थाऐं संघ की सदस्य संस्थाऐं है ।

## विभागीय दायित्व

1. नगरीय विकास संस्थाओं की योजनाओं के नियोजन एवं वास्तुविदीय कार्य ।
2. आई.डी.एस.एम.टी. व अन्य स्ववित्तीय योजनाओं का सर्वेक्षण , तकनीकी परीक्षण, व विस्तृत वास्तुविदीय कार्य ।
3. विकास संस्थाओं को तकनीकी , प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन व अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन
4. राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्यो का संपादन ।

### विभाग से संबंधित जानकारी :

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है। संघ का पंजीयन 1980 में म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है।

### सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं :

भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया है। प्राधिकरणसंघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है।

## भाग–दो

**बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत :**

संघ की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त शुल्क ही है। शासन से वर्तमान में संघ को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

**बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एव अंकेक्षण :**

वर्ष–2004–2005के प्रस्तावित आय–व्यय क्रमशः रू. 174.55 लाख तथा रू. 106.55 लाख अनुमानित था। जिसके विरूद्ध वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 182.50 लाख व 96.046 लाख रहा। वर्ष 2005–06 के आय व्यय क्रमशः रू. 150.791 लाख व रू. 138.63 लाख अनुमानित है।

प्राधिकरण संघ के वर्ष 2003–2004 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है ।

**संसदीय कार्य, विधि विषयक कार्य एवं न्यायलयीन कार्य** – निरंक

**स्वीकृत सेटअप :**

प्राधिकरण संघ के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 79 पद स्वीकृत है। इनमे से 24 कर्मचारी तकनीकी संवर्ग तथा 55 गैर तकनीकी संवर्ग के है सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में है।

## भाग – तीन

**(अ,ब) राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं** :

मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 1995–96 से अभी तक कुल 97 नगरों की आई.डी.एस.एम.टी. योजनाऐं जिनकी अनुमानित लागत लगभग रू.14370.49 लाख है। की स्वीकृति केन्द्र शासन द्वारा प्रदान की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू. 3455.33 लाख केन्द्रांश एवं रू. 2303.13 लाख राज्यांश राशि सहित कुल अनुदान राशि रू. 5758.46 लाख नगरीय निकायों को मुक्त किये जा चुके है। कुल स्वीकृत 97 नगरों में से सभी नगरों की योजनाओं में क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें से 50 नगरों द्वारा रू. 2229. 94 लाख व्यय किये जा चुके है। शेष नगरों में राज्य शासन से राशि विलंब से प्राप्त होने, भूमि प्राप्त होने में कठिनाई तथा निवार्चन अवधि में प्रभावशील आचार सहिंता के कारण क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं आ सकी है। वर्ष 2004–05 में 25 नगरों की योजनाऐं स्वीकृत की गई। जिसमें से 36 नगरों द्वारा रू. 1576.16 लाख व्यय किये जा चुके है। शेष नगरों में राज्य शासन से राशि विलंब से प्राप्त होने , भूमि प्राप्त होने में कठिनाई तथा निर्वाचन अवधि में प्रभावशील आचार सहिंता के कारण क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं आ सकी है।

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 2004–05 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों के योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया, इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बस स्टैण्ड, आवासीय, उद्यान, कम्यूनिटी हॉल, स्टेडियम, आफिस काम्पलेक्स, सब्जी मार्केट जैसे अन्य विकास कार्य शामिल है।

**(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं :** निरंक

**(द) विदेश सहायता प्राप्त योाजनाऐं/परियोजनाऐं :** निरंक

**(ई) अन्य योजनाऐं :**

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा वर्ष 2004–05 में कृषि उपज मण्डी भोपाल की रू.450.03 लाख की योजना का वास्तुविदीय कार्य किया गया, इसके अतिरिक्त प्रदेश की कई अन्य मण्डी समितियों की योजनाओं का नियोजन /वास्तुविदीय कार्य किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम की कोकता में प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना का सर्वेक्षण एवं सर्वे ले आउट तैयार करने तथा म.प्र. गृह निर्माण मण्डल की विभिन्न योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया गया, साथ ही हरदा, नौगाव, जुन्नारदेव (जिला छिन्दवाड़ा) की इन्डोर स्टेडियम की योजना व नगरीय निकायों की अन्य योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जा रहा है।

## भाग – चार

**सामान्य प्रशासनिक विषय :**

(1) म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा प्रदेश के 50 नगरीय निकायो के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये विकास योजना (मास्टर प्लान ) के संबंघ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

**जॉच समितिया, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए :** निरंक

## भाग – पॉच

**अभिनव योजना :**

प्रदेश के 50 नगरों की विकास योजनाऐं निजी नगर नियोजकों के माध्यम से तैयार करने का कार्य संभावित है। इन 50 नगरों पर होने वाले संभावित व्यय रू. 459.50 लाख अनुमानित है।

## भाग – छः

म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ द्वारा सदस्य संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से एक छमाही पत्रिका का प्रकाशन करना प्रस्तावित है।

## भाग – सात

**राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना**

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संघ द्वारा अमल किया जा रहा है। प्राधिकरण संघ में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है।

प्राधिकरण संघ में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संघ में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन सहायक वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में कार्यालय में कुल–12 महिला कर्मी है।

## भा ग – अ।ठ

**सारांश**

**आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम**

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आई.डी.एस.एम.टी.योजना के स्थान पर नवीन योजना यूआईडीएसएसएमटी योजना लागू की गई है। आगामी वर्ष में अधिक से अधिक नगरों के नवीन योजना के प्रस्ताव केन्द्र शासन की ओर स्वीकृति हेतु भेजे जावेगें। आगामी वर्ष में अभी तक स्वीकृत 97 नगरों की आईडीएसएमटी योजनान्तर्गत शेष योजना घटकों के विस्तृत वास्तुविदीय कार्य पूर्ण किया जाकर योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कराने का प्रस्ताव व लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थओं के सर्वेक्षण कार्य व अन्य योजनाओं के वास्तुविदीय कार्य करने का प्रस्ताव है।

# मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

## भाग–एक

## विभागीय संरचना

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमाँक–44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमाँक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य प्रमुख सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं। वर्तमान में निगम कार्यालय में 5 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

**अधीनस्थ कार्यालय :–**

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

**निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं :–**

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

**निगम के दायित्व :–**

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

**निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी :–**

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से एम. पी. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

**सामान्य या प्रमुख विशेषताएं :–**

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

**महत्वूर्ण सांख्यकी :–**

| क्रमाँक | उपलब्धियाँ | हितग्राहियों की संख्या |
|---|---|---|
| 01. | निर्मित आवास उपलब्ध कराना | 192 |
| 02. | विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना | 2,636 |

## भाग–दो

**बजट :–**

निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं हितग्राहियों को दिये गये ऋण आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्य प्रदश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 100.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार आय रूपए 45,31,985.87 पैसे मात्र रही तथा व्यय रूपए 44,51,310.84 पैसे मात्र रहा।

## भाग–तीन

**राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :–**

(अ) **राज्य योजनाएं :–**

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अन्तर्गत जनवरी, 2006 तक मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, झाबुआ, रतलाम एवं राजगढ़ में लगभग रूपए 1,375.35 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 669 तथा इस वर्ष 161 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है तथा शेष भू–खण्डों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में वर्ष 2002 से जनवरी, 2005 तक निगम द्वारा प्रदेश के 07 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 1,119 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपए 736.93 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भू–खण्डों के आवंटन हेतु विज्ञापन जारी कर, इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(ब) **केन्द्र प्रवर्तित योजना :–** निरंक।

(स) **विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :–** निरंक।

(द) **विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :–** निरंक।

## भाग–चार

**सामान्य प्रशासनिक विषय :–**

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(ब) मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2005 से जनवरी, 2006 तक मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 04 तारांकित प्रश्न, 03 अतारांकित प्रश्न तथा 00 राज्य सभा प्रश्न प्राप्त हुये। निगम द्वारा इन प्राप्त प्रश्नों के सम्बंध में वाँछित जानकारी समय सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2005–2006 के अन्तर्गत जनवरी, 2006 तक इस निगम के विरूद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

(ई) अन्य विधायी कार्यों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

## भाग–पाँच

**अभिनव योजना :–** निरंक।

## भाग–छः निरंक

## भाग–सात

**महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी :–**

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2002 तक 261 तथा विगत तीन वर्षों में 118 एवं वर्ष 2005–2006 में 26 इस प्रकार कुल 404 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

## भाग–आठ

**सारांश :–**

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल में विभिन्न श्रेणी के 192 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, झाबुआ, रतलाम एवं राजगढ़ में विभिन्न श्रेणी के 2,636 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा झाबुआ, दमोह, बड़वानी, राजगढ़ (ब्यावरा), शाजापुर, पन्ना एवं छतरपुर में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत इच्छुक कर्मचारियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित हैं। आगामी वर्षों में भी निगम द्वारा विभिन्न सम्भाग आयुक्त/जिला कलेक्टर्स के प्रस्ताव अनुसार आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

# मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## भाग–एक

## संरचना

मध्य प्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राज्य में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्वेश्यों में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता हैः–

1. जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गतः–
   - 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन तथ हथालन) संशोधन नियम,2000
   - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात संशोधन नियम, 2000
   - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम, 1998
   - 4.4 पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम,1999
   - 4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000
   - 4.6 बैटरी (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2001

बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय अनुसंधान केन्द्र, दस क्षेत्रीय कार्यालय व उनसे संलग्न क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ, चार उप क्षेत्रीय कार्यालय, दो मॉनिटरिंग सेन्टर एवं तीन एकल खिड़की कार्यालय कार्यरत हैं।

### क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य दायित्व :–

- ❖ उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- ❖ क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग।
- ❖ क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- ❖ उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य।
- ❖ प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिटरिंग।
- ❖ पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु मानिटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।
- ❖ लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना।

- ❖ वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही।
- ❖ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराना।
- ❖ क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों आदि में घरेलू जल–मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना।
- ❖ जल उपकर अधिनियम 1977 के प्रावधानों के तहत जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना।
- ❖ पर्यावरण जन चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।

**भाग दो**

## बजट प्रावधान एवं आय

वर्ष 2004–2005 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्ति रूपये 1091.85 लाख आंकी गयी है। जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि 46.87 लाख, केन्द्र शासन से रूपये 209.84 लाख (जिसमें जल उपकर राशि के अंश अंतर्गत 202.34 लाख रूपये सम्मिलित हैं)

वर्ष 2005–2006 में राज्य शासन के बजट में रूपये 251.00 लाख का प्रावधान किया गया था, लेकिन राज्य शासन से रूपये 46.87 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2005–2006 में प्रस्तावित योजनाओं के लिये रूपये 316.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

| क. | योजना | बजट आवंटन (लाख रूपये) |
|---|---|---|
| 1 | मेलों के समय विशिष्ठ प्रदूषण की रोकथाम | 10.00 |
| 2 | जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन | 10.00 |
| 3 | बड़ी नदियों के प्रवाह, जल निकाय एवं उद्‌गम स्थलों की निगरानी | 6.00 |
| 4 | वायु प्रदूषित क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का आकलन | 6.00 |
| 5 | बोर्ड का संगठनात्मक सुधार | 8.00 |
| 6 | शोध एवं विकास संस्थान | 6.00 |
| 7 | वाहन एवं ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन एवं निगरानी | 4.00 |
| 8 | इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर | 4.00 |
| 9 | खतरनाक अपशिष्ठ डिस्पोजल साईट का पर्यावरणीय सुधार | 50.00 |
| 10. | पर्यावरण पुरस्कार | 3.50 |
| 11 | सेमीनार, प्रशिक्षण एवं प्रचार | 5.00 |
| 12. | केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना) | 200.00 |
| 13 | प्लास्टिक अपशिष्ठ के प्रबंधन हेतु जन–जागृति कार्यक्रम | 3.50 |
| | **कुल योग** | **316.00** |

उपरोक्त के विरूद्ध बोर्ड को दिसम्बर 2005 तक रूपये 147.50 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

## भाग तीन

## अ राज्य योजनायें

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिपेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्यौगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी, जोनिंग एटलस,परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन,नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत संपादित प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैं :–

### औद्यौगिक प्रदूषण नियंत्रणः–

प्रदेश को औद्यौगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्वेश्य से विशेष कदम उठाते हुये राज्य में आनेवाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी गई। आनेवाले सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्देशित किया गया। इस वर्ष दिनांक 1.4.2005 से 31.12.2005 तक लगभग पचास हजार वृक्षों का रोपण मेसर्स ए.सी.सी. कैमोर कटनी द्वारा किया गया। पूर्व से स्थापित सभी जल/वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ–साथ 37 बृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 22 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 12 बृहद एवं मध्यम श्रेणी के व 67 लघु श्रेणी के उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरण लगाये गये। अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुमति हेतु प्रकरण भारत शासन को पर्यावरण आंकलन अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई के पश्चात् अग्रेषित किये जाते हैं।

### लघु उद्योगों को राज्य द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आर्थिक सहायता :–

छोटे एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर उद्योगों के दूषित जल उपचार हेतु संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र योजना के अंतर्गत भोपाल के गोबिन्दपुरा औद्यौगिक क्षेत्र के लघु उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल को संयुक्त रूप से उपचारित करने के उद्वेश्य से शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। उपरोक्त योजना में राज्य शासन के 25 प्रतिशत, केन्द्र शासन के 25 प्रतिशत, हितग्राहियों के 10 प्रतिशत व बैंकों से 40 प्रतिशत ऋण की आर्थिक व्यवस्था के साथ संयुक्त दूषित जल शोधन संयंत्र का कार्य पूर्ण किया गया।

### नगरीय प्रदूषण नियंत्रण :–

नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का है । इस हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ठ ( प्रबंधन तथा हथालन ) नियम 2000 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करना एवं उपरोक्त नियमों के तहत् बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना भी आवश्यक है। विचाराधीन वर्ष में 31.12.2005 तक 293 नगरीय निकायों द्वारा बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त कर लिया है। 2 नगरीय निकायों द्वारा अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु बायो फर्टिलाईजर प्लांट की स्थापना की गई है। 330 नगरीय निकायों द्वारा इस हेतु स्थलों का चयन कर लिया गया है।

नगरीय निकायों को उपरोक्त नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्रदान करने हेतु उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है तथा दिनांक 22.3.2005 को सागर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी प्रकार दिनांक 5.10.2005 को रीवा में ओरियन्टेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ठोस अपशिष्ठों के निस्सारण एवं उनके उचित प्रबंधन तथा निपटान हेतु श्योरपुर, खुजराहो एवं रीवा के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से मॉडल डी.पी.आर. तैयार कराई जा रही है।

**परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रबंधन**

परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन व हथालन) नियम 1989 व संशोधित नियम, 2000 एवं 2003 के अनुसार प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ठों का उत्पन्न करने वाले उद्योगों का पता लगाने, उत्पन्न होने वाले अपशिष्ठों की श्रेणी, वार्षिक मात्रा एवं अपशिष्ठों के उचित प्रबंधन एवं अपवहन की कार्यवाही की जा रही है। इस नियम के अंतर्गत अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 818 उद्योगों को प्राधिकार दिया जा चुका है।

प्रदेश में स्थित उद्योगों द्वारा जनित खतनरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित हथालन व निष्पादन हेतु राज्य शासन द्वारा अपवहन स्थलों (जबलपुर एवं राजगढ़ जिलों में स्थित) को चिन्हित कर अधिसूचित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन की मदद एवं मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से धार जिला के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में स्थल विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है।

**इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर (ई.आर.सी.)**

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं अन्य संबंधित आपात परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पोंस सेंटर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इस केन्द्र को ''नोडल एजेन्सी'' घोषित किया है। वर्तमान तक कुल 248 उद्योगों द्वारा इस केन्द्र की सदस्यता प्राप्त की गई है। ई.आर.सी. के कार्यक्षेत्र की सीमा सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य तक सीमित नहीं है, अतः इसके द्वारा पूर्व में आपदा की स्थिति में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को भी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

इस केन्द्र के द्वारा विभिन्न रसायनों की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य सी.ए.एस. संख्या, आर. टी.ई.सी.एस. संख्या, प्रचलित रसायनिक नामों आदि के आधार पर तैयार है। रसायनों की पहचान हेतु क्रास इन्डेकिसिंग की व्यवस्था भी की गई है, इस केन्द्र द्वारा क्रेफ्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिसके द्वारा रसायनों की गुणधर्मता ज्ञात की जा सकती है। रसायनिक दुर्घटनाओं के दौरान आवश्यक बचाव संबंधी जानकारी मेडिकल एड, एन्टीडॉट की जानकारी, दुर्घटना के प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी (एम.एस.डी.एस., आई.सी.एस.सी. आदि) भी इस केन्द्र द्वारा तैयार की गई है। रसायनिक दुर्घटनाओं के समय प्रशासन एवं जन सामान्य को सुरक्षित क्षेत्र की जानकारी दिये जाने संबंधी तंत्र की जानकारी भी इस केन्द्र में उपलब्ध है, जिससे प्रभावितों को सुरक्षित क्षेत्र में विस्थापन (rehabilitation in safe Isolation area) के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

ई.आर.सी. के द्वारा रिजनल रजिस्टर ऑफ पोटेन्शियली टाक्सिक केमिकल्स (आर.आर.पी.टी.सी.) व स्टेट क्राइसिस ग्रुप से समन्वय आदि का कार्य भी देखा जाता है। विगत वर्ष ई.आर.सी. द्वारा प्रदेश में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों आदि को भी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान

किया गया। इसके अतिरिक्त विगत वर्ष गोवा के औगदा तट पर अरब सागर में दो समुद्री जहाजों के टकराने के कारण तेल रिसन से आसपास के पर्यावरण एवं जलीय जीवन को नुकसान पहुॅचने के संभावना थी। उक्त दुर्घटना के समय ई.आर.सी. के द्वारा तट रक्षक अधिकाारियों (ब्वेंज ळनंतक वॅपिबंसे) एवं गोवा राज्य की पर्यावरण एजेंसी को आवश्यक सहायता हेतु सतत् सम्पर्क बनाये रखा।

ई.आर.सी. के द्वारा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को बेव–साइट www.ercmp.nic.in पर दिया गया है। आपात अथवा सामान्य परिस्थिति में सम्पर्क हेतु ई–मेल आई.डी. ercbpl@sancharnet.in एवं ercmppcb@mp.nic.in है

**जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन**

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 प्रकाशित किये गये हैं जो उन सभी व्यक्तियों पर लागू हैं जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ठिा का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं। इन अपशिष्ठों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है तथा उपचार की विभिन्न पद्धतियॉ जैसे इन्सीरिनेशन, आटो क्लेविंग, माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग श्रेडिंग तथा भूमि में गहरा गाड़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिग होम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था न होने के कारण पूर्व में इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्ठों के साथ किया जाता था। जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम लागू होने के उपरांत इन संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ठों के समुचित प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तर पर समन्वित प्रयास जैसे–चिकित्सालय में कार्यरत् स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण ताकि वे विभिन्न श्रेणी की अपशिष्ठों को नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पृथक–पृथक डस्टबिन में रख सकें, प्रत्येक नगर में जीव चिकित्सा अपशिष्ठ के उपचार हेतु संयुक्त उपचार व्यवस्था तथा उपचारित अपशिष्ठों के डिस्पोजल हेतु डम्पिंग साईट हेतु स्थलों का चयन व विकास इत्यादि। इस हेतु स्थानीय प्रशासन विभाग,स्वास्थ्य विभाग,नर्सिंग होम एसोसियेशन इत्यादि के साथ बैठकें आयोजित कर समन्वित उपचार व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयास किये गये। तथा वर्ष 1998 से निरंतर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों/चिकित्सालयों का पत्राचार, बैठकें इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों में स्टॉफ को अपशिष्ठों के पृथककरण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया । इन प्रयासों के फलस्वरूप दिसम्बर 2005 की स्थिति में मध्य प्रदेश में विभिन्न बिस्तर क्षमता के अस्पतालों एवं अस्पतालों की संख्या निम्नानुसार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 500 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल | – | 6 |
| 2 | 200 से 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल | – | 24 |
| 3 | 50 से 200 बिस्तर क्षमता से अधिक के अस्पताल | – | 117 |
| 4 | 50 विस्तर से कम क्षमता के अस्पताल | – | 1059 |

जीव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों के अनुसार पाँच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थापित अस्पतालों में भी भस्मक स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 31 अस्पतालों द्वारा स्वयं के भस्मक की स्थापना की गई है तथा इनमें से 3 अस्पतालों जे.ए.अस्पताल ग्वालियर, नेताजी सुभाष अस्पताल जबलपुर, जिला चिकित्सालय सतना द्वारा अपने भस्मक में नगर के अन्य अस्पतालों को व्यवसायिक शर्तो पर अपशिष्ठ दहन की सुविधा दी गई है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों

द्वारा भी व्यवसायिक शर्तो पर भस्मक पद्धति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जीव चिकित्सा अवशिष्ठ को संयुक्त उपचार की निम्नानुसार व्यवस्था की गई है जहॉ अस्पतालों से कचरा एकत्रित कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाना है एवं उसका विनष्टिकरण किया जाता है :–

- इन्दौर नगर – 1
- भोपाल नगर – 1
- जबलपुर नगर – 1

5 लाख से कम आबादी के नगरों में डीप बरियल (गहरा गाढ़ना) पद्धति पर आधारित उपचार व्यवस्था की जाने की नियमों में अनुमति है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा निम्न 2 नगरों में यह सुविधा प्रारंभ की गई है जिसका उपयोग नगर एवं आसपास के चिकित्सा संस्थान करते हैं:–

- छिंदवाड़ा
- होशंगाबाद

नियम की धारा 14 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय संस्था नगर निगम, नगर पालिका आदि का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों में संयुक्त अपशिष्ठ निपटान/भस्मक स्थापित करें ।

## जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिये बोर्ड के द्वारा विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं वाहन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :–

### 1. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग :–

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलो, बॉधो, तालाबों एवं नालों से वर्ष 2004–2005 में कुल 3413 तथा 2005–2006 में नवम्बर तक 1262 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस.2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है।

### 2. औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं उद्योगो के चिमनियों के उत्सर्जन व परिवेशीय वायु की निगरानी :–

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2004–2005 में कुल 3718 तथा 2005–2006 में नवम्बर तक 1713 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2004–2005 में 511 व वर्ष 2005–2006 में माह नवम्बर तक 415 एवं परिवेशीय वायु के 2083 एवं नवम्बर 2005 तक 987 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

### 3. वाहन उत्सर्जन मापन :–

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2004–2005 में कुल 9495 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया, जिसमें से 1826 वाहन निर्धारित मानको से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। वर्ष 2005–2006 में माह नवम्बर तक 4112 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। जिसमे से 1082 वाहन निर्धारित मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

**4. ध्वनि स्तर मापन :–**

बोर्ड द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक,शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2004–2005 में प्रदेश में कुल 4766 ध्वनि स्तर मापन किये गये। जिसमे से 42.8 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आंकडे निर्धारित मानको से अधिक पाये गये। वर्ष 2005–2006 में माह नवम्बर तक कुल 2616 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। जिसमे से 51.68 प्रतिशत ध्वनि स्तर के आंकड़े निर्धारित मानक से अधिक पाये गये। इसकी जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

**5. मेलों के अवसर पर प्रदूषण की निगरानी :–**

प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक एवं व्यवसायिक मेलों के अवसर पर बोर्ड जनसामान्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक विषयक चेतना जागृत करने के उददेश्य से प्रर्दशनियों का अयोजन कर प्रदूषण के कारण पर्यावरण संरक्षण में जन योगदान आदि विषयों का प्रचार–प्रसार विभिन्न पोस्टर्स, फोटोग्राफ मॉडल आदि के माध्यम से करता है। इस अवसर पर जल स्त्रोतों की सतत निगरानी,वायु गुणवत्ता व ध्वनि स्तर का मापन किया जाता है। वर्ष 2005–2006 की अवधि में कुल 17 मेलों का आयोजन होना है।

## ब केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनायें प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

**(1) राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)**

योजना के अंतर्गत राज्य के 5 शहरों में 12 स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, पर सप्ताह में दो बार वायु मानिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साईड, नाइट्रोजन के ऑक्साईड, संस्पेडेड पार्टीकुलेट मेटर एवं रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर का परीक्षण परिवेशिय वायु मे किया जाता है। एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनो की संख्या निमनानुसार है :–

| कमांक | पैरामीटर | नमूनो की संख्या 2004–2005 | नमूनो की संख्या नवम्बर 2005 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | $So_2$ | 2891 | 2664 |
| 2 | $No_x$ | 2891 | 2664 |
| 3 | RSPM | 5631 | 4965 |
| 4. | SPM | 5631 | 4965 |

**(2) विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स):**

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2004–2005 मे कुल 48 नमूने तथा अप्रेल 2005 से नवम्बर 2005 तक 27 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का आंकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

**(3) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)**

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उददेश्य से प्रारंभ की गई थी। जिसके अंतर्गत वर्ष 2004–2005 में 43 सेपलिंग स्थानो से 337 नमूने तथा अप्रैल 2005 से नवम्बर 2005 तक 157 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषण स्तर का आकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

## पर्यावरण नियोजन एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित प्रचलित परियोजनायें

**1. जोनिंग एटलस:–**

उद्योगों एवं क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास ही प्रदूषण की समस्या के निदान का सशक्त साधन है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से संभावित औद्योगिक क्षेत्रों के निर्धारण हेतु जिलेवार जोनिंग एटलस तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

बोर्ड की जोनिंग एटलस शाखा द्वारा विभिन्न स्केलों में पर्यावरण आधारित एटलस तैयार किये जाते हैं। जिनमें क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भ तथा सतही जल (गुणवत्ता, उपयोग, उपलब्धता), वायु गुणवत्ता, वर्तमान भूमि उपयोग, ड्रेनेज, टोपोग्राफी, जिले के संवेदनशील स्थल आदि के संबंध में मानचित्र तथा इनका पूर्ण विश्लेषण एवं भूमि–उपयोग संबंधित अनुशंसाओं का उल्लेख किया गया है।

## तैयार किए गये एटलसों की उपयोगिता –

- जोनिंग एटलस क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय विशेषताओं एवं विभिन्न प्रदूषण कारकों का परिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये विकास हेतु किसी भी गतिविधि के स्थापन एवं संचालन के लिये स्थल चयन में सहयोग प्रदान करता है जिससे किसी भी गतिविधि के स्थानन एवं संचालन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। जोनिंग एटलस के माध्यम से शासन, स्वपोषी विकास के लिए योजना एवं नीति

विकसित कर सकता है। नियामक संस्थाएँ (रेग्यूलेटरी अथॉरिटीज) भी बेहतर व पारदर्शिता के साथ स्वीकृति, मॉनिटरिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं में तेजी ला सकते हैं।

- वर्तमान/प्रस्तावित नए या विस्तारित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थल चयन हेतु विभिन्न स्थलों का अध्ययन/शहरीकरण, वनीकरण, पर्यटन स्थल विकास, खदान स्थल विकास, औद्योगिक क्षेत्र आदि जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार के अध्ययनों से प्राप्त एटलसों (मानचित्रों, अनुशंसाएँ आदि) का उपयोग अत्यन्त सहज रूप से किया जा सकता है। किसी भी विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु हर दृष्टि से उपयुक्त स्थल का चयन यदि इस प्रकार के पर्यावरण पर आधारित अनुशंसाओं के दृष्टिगत किया जाये तो निश्चित रूप से विकास अधिक प्रभावी एवं स्थायी होगा।
- संक्षित में कहा जा सकता है कि यह एक मार्गदर्शिका है जिसके माध्यम से किसी भी विकास गतिविधि को प्रारंभ करने हेतु ऐसा स्थल चयन किया जा सकता है जहाँ गतिविधि विशेष के संचालन के कारण पर्यावरण को असाध्य क्षति न पहुँचे और जो भी विकास हो वह पर्यावरण क्षति के मूल्य पर न हो।

**गत वर्ष किये गये अध्ययन –**

1. मध्यप्रदेश राज्य के एटलस (State Environmental Atlas) का कार्य किया गया।
2. रायसेन, धार, इन्दौर जिलों के जोनिंग एटलस के पुर्नरक्षण का कार्य किया गया।
3. इको सिटी प्रोजेक्ट – उज्जैन के अन्तर्गत नगर निगम उज्जैन से प्राप्त डी.पी. आर. (D.P.Rs) का अध्ययन कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

**आगामी वर्ष 2005–06 के लिए प्रस्तावित/क्रियान्वित कार्य –**

1. सागर एवं छिंदवाड़ा जिलों के लिए पुर्नरक्षित जिलेवार जोनिंग एटलस।

2. उज्जैन एवं देवास जिलों के लिए जिलेवार जोनिंग एटलस।

**जल उपकरः–**

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित होता है।

नीचे दी गई तालिका में तीन वर्षो में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है :–

**(लाख रूपयों में )**

| वर्ष | निर्धारित उद्योगों की संख्या | निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या | निर्धारित उपकर की राशि | एकत्रित उपकर/अर्थात केन्द्र शासन को भेजी गई राशि | केन्द्र शासन से प्राप्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003. 2004 | 818 | 300 | 371ण14 | 224ण56 | 254ण72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 .2005 | 650 | 296 | 351ण57 | 302ण14 | 202ण34 |
| 2005. 2006 (upto Dcember) | 562 | 235 | 408ण38 | 308ण26 | 128ण96 |

**पर्यावरणीय अनुसंधान :–**

बोर्ड के अनुसंधान केन्द्र द्वारा वर्ष 2005–06 में मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र की परिवेशीय वायु के सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर विशेषतः रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में भारी धातुओं एवं हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति पर अध्ययन, मेसर्स फर्टिलाईजर लिमि. गुना उद्योग के निस्त्राव का टॉक्सीसीटी परीक्षण, देवास औद्योगिक क्षेत्र देवास के भू–जल में प्रदूषण की जॉच, बेतवा नदी के आसपास के कृषि उत्पादों एवं मिट्टी में भारी धातु एवं कीटनाशकों की जॉच संबंधित योजनाओं पर अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

**प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण**

**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना :–**

देश की नदियों के शुद्धीकरण के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ''राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना'' का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सात नदियों के किनारे बसे ग्यारह नगरों के क्रमशः क्षिप्रा (उज्जैन), खान (इन्दौर), ताप्ती (बुरहानपुर), चम्बल (नागदा), नर्मदा (जबलपुर), बेतवा (भोपाल, विदिशा, मण्डीदीप), एवं वैनगंगा (सिवनी, छपारा, केवलारी) में दूषित जल–मल से नदी में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित तथा शुद्धीकरण करने का प्रावधान है।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा इस योजना के तहत् प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। केन्द्र शासन द्वारा इन योजनाओं हेतु 101.19 करोड रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन,सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं भूमि के अधिग्रहण संबंधी योजनायें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अल्प लागत स्वच्छता,शवदाह गृह एवं ठोस अपशिष्ठों के प्रबंधन संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं संबंधित नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा, नदी तटाग्र विकास योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा एवं वनीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में योजनान्तर्गत कुल 76 कार्य कराये जाना थे जिसमें से सभी कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है। जिनमें से रूपये 75.32 करोड़ लागत की कुल 58 योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके विरूद्व भारत शासन से 63.85 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। स्वीकृत 58 योजनाओं में से 52 योजनायें पूर्ण हो चुकीं है, जिन पर 30 सितम्बर 2005 तक 64.04 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है तथा शेष 6 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना के समस्त अवयवों का कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना में शामिल नदियों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

**सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी.):–**

वर्तमान उच्च तकनीकी युग में समय के साथ गति बनाये रखकर पर्यावरण एवं इससे जुड़े हुये सभी क्षेत्रों को समय पर अविल्मब सुविधा एवं मार्गदर्शन देने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आई.टी) की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बोर्ड की समस्त जानकारी वेब साईट ''ण्उचचबइण्दपबण्पद पर उपलब्ध है जो कि पारदर्शिता की ओर जन–सामान्य हेतु लिया गया कदम है। उक्त वेब साईट को वर्ष 1999 में कमीशन्ड किया गया था जिस पर बोर्ड के विभिन्न कार्यो की जानकारी, पर्यावरण संबंधित विभिन्न नियम, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर संबंधित जानकारी, उद्योगों के बारे में अद्यतन जानकारी आदि प्रस्तुत की है जो कि उद्योगपतियों, शासकीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं एवं जन–सामान्य के लिये उपयोगी साबित हो रही है।

बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बोर्ड मुख्यालय के मध्य जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु इन्टरनेट का प्रयोग किया जा रहा है जिससे जानकारी का प्रवाह अविलम्ब हो सके। बोर्ड मुख्यालय की समस्त शाखाऍं आपस में लेन (लोकल एरिया नेटवर्क) तकनीक से जुड़ा हुआ है। बोर्ड के दैनांदिनी कार्यो के कम्प्यूटरीकरण हेतु विश्व सहायतित योजना के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कस्टमाईज साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है जो कि भविष्य में एक ''कागज विहीन'' कार्यालय बनाये जाने की दिशा में पहल है। इस साफ्ट वेयर के उपयोग से जहॉ एक ओर विभिन्न जानकारियों को शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा वहीं दैनांदिनी कार्यो के निपटारे में भी गति आयेगी।

## भाग चार

**न्यायालयीन प्रकरण**

वर्ष 2005–2006 में दिसम्बर  तक कुल 19 दोषी उद्योग/संस्थानों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

**सामान्य प्रशासनिक विषय**

1 **विभागीय पदोन्नति :–** वर्ष 2005–2006 में विभिन्न रिक्त पदों पर पदोन्नति का लाभ देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2 **नियुक्ति :–** वर्ष 2005–2006 में बोर्ड में किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई।

3 **कमोन्नति :–** वर्ष 2005–2006 के लिए विभिन्न संवर्गो की अधिकारियों/कर्मचारियों के कमोन्नति प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है।

4 **विभागीय जांच :–** वर्ष 2005–2006 में निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थापित की गई।

1. श्री विवेक द्विवेदी, अधीक्षण यंत्री
2. 2. श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक विधि अधिकारी

5 **न्यायालयीन प्रकरण** :– विचाराधीन वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी 2006 तक प्रशासन/स्थापना से संबंधित निम्न न्यायालयीन प्रकरण कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दायर किये गये :–

6

| **कम** | **प्रकरण के विवरण** | **प्रकरण क.** | **वर्तमान स्थिति** |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री आर.के.जैन विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य | 645/05 | मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन |
| 2. | श्री बी.एन.खरे विरूद्ध बोर्ड व अन्य | 1420/05 | मा.उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में विचाराधीन |
| 3 | श्री के.व्ही.थामस विरूद्ध म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य | 11991/05 | मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन |
| 4. | श्रीमती आशा यादव विरूद्ध म.प्र शासन व अन्य | 6150/05 | मा.उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन |
| 5. | श्री कैलाश कुशवाह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य | 11991/05 | मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन |

## भाग पांच

**अभिनव योजना निरंक**

## भाग छः

**प्रकाशनः–**

बोर्ड द्वारा समय समय पर विभिन्न ब्रोसर, पेम्पलेट आदि प्रकाशन कर उसमें पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुंचाने वाली तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

## भाग सात

**राज्य की महिला नीति**

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के कियान्वयन हेतु श्रीमती रीता कोरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, एवं कियान्वयन किया जा रहा है ।

## भाग आठ

**सारांश**

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर उनका विश्लेशण करना है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों एवं ध्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाती है। प्रदेश में स्थापित उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के निर्देश भी दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना आवश्यक है।

# पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

## भाग – एक

## संरचना

मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना पर्यावरण क्षेत्र में राज्य सरकार की परामर्शदात्री संस्था के रूप में 5 जून, 1981 को की गयी। एप्को सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। जिसके अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल तथा उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन में संस्था एक परामर्शी की भूमिका निभाती है। संस्था का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता है। जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण एवं महानिदेशक एप्को तथा राज्य शासन के वित्त एवं वन विभागों के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत शासन के प्रतिनिधि, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कुलपति, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल एवं एक विख्यात पर्यावरणविद् शासी परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यपालन संचालक, एप्को इसके सदस्य सचिव हैं।

महानिदेशक – **श्री पी. डी. मीणा**
कार्यपालन संचालक – **श्री जे. एस. माथुर**

## उद्देश्य

1 राज्य की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना,

2 प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जनजागृति पैदा करना,

3 राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण में राज्य शासन को परामर्श

4 भवन निर्माण आकल्पन करना,

5 जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों की पहचान कर परियोजना दस्तावेज तैयार करना

## अधीनस्थ कार्यालय

संगठन का मुख्यालय भोपाल में है। इसकी एक मात्र शाखा विशेषतौर पर पर्यावरण के ग्रामीण पहलुओं पर कार्य करने के उद्देश्य से एप्को – ग्रामीण के नाम से अवद्येश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर, रीवा में स्थित है।

## भाग – 2

**वजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)**

**मांग संख्या–21 शीर्ष–2217**
22–17–शहरी विकास (आयोजना)

| 05 | अन्य शहरी विकास योजनाएं | बजट राशि 2005–2006 | माह जनवरी 2006 तक प्राप्त राशि |
|---|---|---|---|
| 513 | पर्यावरणीय अनुसंधान प्रतिरक्षण, शिक्षण | 130.00 | 65.00 |
| 2538 | पर्यावरणीय सुधार प्रबंधन के लिये इंदिरा गांधी फैलोशिप | 2.50 | 0.00 |
| 1444 | जल प्रदाय निकायों का पर्यावरण सुधार | 47.13 | 23.00 |
| | योग – सामान्य योजना मांग संख्या –21–2217 | 179.63 | 88.00 |

## भाग – 3

**राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**

एप्को आवास एवं पर्यावरण विभाग की एक स्वशासी सलाहकारी संस्था है। संस्था द्वारा पर्यावरणीय शोध तथा योजना एवं आकल्पन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इस हेतु संगठन को राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा कार्यों के संचालन हेतु नियमित रूप से धन रशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है अपितु आर्थिक सहयोग के रूप में गतिविधि आधारित आंशिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान राशि एवं परामर्शी सेवा द्वारा स्वअर्जित राशि से संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

**राज्य एवं केन्द्रीय योजनाएं**

## रूपांकन सेवाएं

**वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट**

वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 1907 में वानिकी प्रशिक्षण हेतु ''वैनगंगा'' नदी के तटपर बालाघाट की सुरम्य एवं मनमोहक वादियों में स्थापित हुआ तथा यह राष्ट्रीय स्तर की धरोहर है एवं इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है।

सम्पूर्ण योजना स्थल लगभग 26.98 हेक्ट. के क्षेत्र में बसा हुआ है। यह स्थल बालाघाट–सिवनी मार्ग पर आरक्षित वन के अन्तर्गत आता है। महाविद्यालय परिसर की सीमा से बालाघाट–कंटगी रेलमार्ग लगा हुआ है। महाविद्यालय परिसर में विद्यमान वनस्पतिक जैविक विविधता के कारण यहाँ का माइक्रोक्लाइमेट बालाघाट शहर की तुलना में भिन्न एवं मनोरम है। परिसर में कई भवनों का समूह हैं। यह सभी भवन प्राचीन होने के कारण अच्छी अवस्था में नहीं है। इन सभी भवनों के संरक्षण,

मरम्मत एवं जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है ताकि उनके मूलस्वरूप में बदलाव किए बिना उनका शुद्धीकरण किया जा सकें।

सम्पूर्ण परिसर का मास्टर प्लान तथा समग्र रूप से विकास हेतु परिसर के चारों ओर बाउंड्री वाल की मरम्मत तथा नई फेंसिंग लगाना, प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के भवनों की मरम्मत करना, सम्पूर्ण परिसर में आवागमन हेतु कंक्रीट सड़कों का निर्माण करना, परिसर में विद्युतीय व्यवस्था तथा पीने एवं सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था, रेन–वाटर हार्वेस्टिंग करना, सम्पूर्ण क्षेत्र का भूदृश्यीकरण करना, छात्रावास में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए गरम पानी की व्यवस्था करना, सीवेज लाईन का उन्नयन करना इत्यादि कार्य शामिल है।

इस हेतु एप्को द्वारा प्रथम स्तरीय प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसकी अनुमानित लागत रू. 436. 00 लाख है।

## मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय भवन का विस्तार

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्यालय भवन पर्यावरण परिसर के विस्तार के रूपांकन का कार्य संगठन द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग मी. है। प्रस्तावित भवन में मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां होगी तथा साथ ही कांफ्रेंस हाल, पुस्तकालय, कैन्टीन, कामन रूम आदि सुविधाएं भी प्रस्तावित है।

भवन को उर्जा सम्मत बनाने हेतु पर्याप्त ध्यान दिया गया है। प्रस्तावित भवन में Cooling ducts, double cavity walls, structured glazing जलीय वर्षा संवर्धन, स्थानीय उपलब्ध भवन सामग्री का उपयोग माडयूलर आफिस सिस्टम आदि की भी व्यवस्था की गयी है। भवन की कुल लागत करीब रू. 256.00 लाख है।

## उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान का विस्तार

भोपाल में कोलार डेम के समीप लगभग 40 एकड़ की भूमि पर स्थित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी थी। भविष्य में अनुमानित लगभग 1500 छात्रों की शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने की चेष्टा संस्थान द्वारा की जा रही है। इस हेतु संस्थान के विस्तार के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सेवाओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से वास्तुविद्‌ीय रूपांकन का कार्य तथा सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत मास्टर प्लान एवं भूदृश्यीकरण का कार्य एप्को को सौंपा गया है।

संस्थान में प्रशासनिक भवन के साथ–साथ विभिन्न संकाओं के अलग–अलग भवन बनाए जायेंगे। खेलकूद के मैदान की व्यवस्था के साथ–साथ आउटडोर स्टेडियम एवं मल्टीपरपज हॉल की सुविधा भी प्रस्तावित है। शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए आवास एवं एक गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 1000 छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास, मेस /डाइनिंग सुविधा के साथ प्रस्तावित है। वर्तमान में निर्मित पुस्तकालय को ई–लाइब्रेरी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। संस्थान में युवा गतिविधियों के संचालन के लिए एक सुसंगत ऑडिटोरियम बनाया जायेगा।

## भोपाल गैस त्रासदी स्मारक

यूनियन कार्बाइड परिसर जहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी की दुर्घटना घटित हुई थी। उस सम्पूर्ण परिसर (67.0 एकड़ के स्थल) को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक बनाने का निर्णय म.प्र. शासन द्वारा लिया गया है। इस योजना के लिये वास्तुविद् के चयन हेतु शासन द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की वास्तुविद्‌ीय प्रतियोगिता आयोजित करने का दायित्व एप्को को सौंपा गया। यह प्रतियोगिता आर्किटेक्टस एक्ट 1972 के तहत गठित संस्था कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आयोजित की गयी। इस हेतु एक उच्च स्तरीय सात सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया गया। प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे जिसके आधार पर विभिन्न प्रदेशों के प्रतियोगियों द्वारा अपनी प्रविष्ठियां भेजी गयी थी। निर्णायक मण्डल द्वारा विजेताओं का चयन किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार विजेता को रू. 5.0 लाख, 3.0 लाख व 2.0 लाख की राशि दी जावेगी तथा तीन अन्य प्रविष्ठियों को रू. 1.00 लाख प्रत्येक को दिये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार प्राप्त प्रविष्ठि के आकल्पन के आधार पर ही स्मारक निर्माण किये जाने के निर्णय को शासन द्वारा गठित मंत्री परिषद् समिति द्वारा पुष्ठि की गयी।

## भोपाल में राष्ट्रीय स्तर पर पुरातत्व संग्रहालय

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पुरातत्वीय सम्पदा का अपूर्व भण्डार बिखरा हुआ है। इसे एक स्थान पर सुनियोजित एवं सुरक्षित तरीके से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा भोपाल में एक राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया गया था। संग्रहालय भवन के वास्तुविदीय रूपांकन हेतु सलाहकारी सेवाएं एप्को द्वारा दी गयी। योजना की लागत लगभग रू. 12.0 करोड़ है। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रदेश के मान. मुख्यमंत्री द्वारा भवन का लोकार्पण किया जा चुका है।

## जनजातीय संग्रहालय, भोपाल

म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश की अभूतपूर्व आदिवासी धरोहर से जन साधारण को अवगत कराने के उद्देश्य से भोपाल में श्यामला हिल्स पर एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। संग्रहालय का स्थल नव–निर्मित पुरातत्व संग्रहालय से लगा हुआ है। इन दोनों संग्रहालयों का आपस में तथा मानव संग्रहालय से इनका सामीप्य आगुंतकों को अधिक से अधिक संख्या में आकृष्ट करने में सहायक होगा। लगभग 8.00 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय का वास्तुविद्‌ीय आकल्पन नई दिल्ली के सलाहकार के माध्यम से एप्को द्वारा करवाया जा रहा है।

## पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की प्रबंधन कार्य योजना

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मानव एवं बायोस्फियर रिजर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत पचमढ़ी क्षेत्र को 3 मार्च, 1999 में बायोस्फियर रिजर्व (जैव मण्डलीय संरक्षित क्षेत्र) घोषित किया गया है। क्षेत्र के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार करने एवं शासन के शीर्ष स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वंयसेवी एवं अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करने हेतु एप्को को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है। इस योजना में वार्षिक आधार पर प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर भारत शासन को भेजा जाता है। इसके आधार पर भारत शासन द्वारा अनुदान के रूप में योजना के क्रियान्वय हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

प्रबंधन कार्य योजना 2004–05 हेतु भारत शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में कुल रू. 96.0215 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर रू. 82.24 लाख की राशि मुक्त की गई। इसी तरह प्रबंधन कार्य

योजना 2005–06 हेतु रू. 84.72 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके विरूद्ध रू. 50. 80 लाख की राशि भारत शासन द्वारा मुक्त की जा रही है।

योजनान्तर्गत कई उप योजनायें जैसे– इको डेव्हलपमेंट, नेचर, ट्रेल एवं ट्रेकिंग रूट की स्थापना, औषधीय एवं मूल्यवान प्रजातियों के संरक्षण हेतु बढ़ावा देना, हैबिटेट के सुधार हेतु बढ़ावा देना, बायोगैस संयंत्र स्थापना को बढ़ावा देना, उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, हेल्थ केम्प इत्यादि का आयोजन शामिल है। इन योजनाओं में से ज्यादातर योजनाऐं जनभागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। बायोस्फियर क्षेत्र में स्थित स्कूलों एवं स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से जनसाधारण में जैव विविधिता संरक्षण हेतु जनजागरण अभियान संचालित किये जा रहे हैं।

## पचमढ़ी एवं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व हेतु एफ्को को लीड/समन्वयक संस्था के रूप में पहचान

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन द्वारा पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व हेतु लीड/ समन्वयक संस्था के रूप में वर्ष 1999 में मान्यता दी गई है । 2005–06 से बायोस्फियर के साथ–साथ अचानकमार अमरकंटक हेतु भी एफ्को को लीड संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। भारत शासन द्वारा विगत दो वर्षों में निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गयी।

वर्ष 2004–05 रू. 1.70 लाख
वर्ष 2005–06 रू. 4.27 लाख

योजना अन्तर्गत पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र में हुए शोध कार्यो को संकलित कर उन्हें बायोस्फियर रिजर्व इन्फॉरमेशन सर्विस के रूप में प्रति वर्ष 2 बुलेटिन प्रकाशित किया जा रहें है। जिससे शोध से सम्बन्धित जानकारियों का लाभ वैज्ञानिकों एवं समस्त सम्बन्धित संस्थाओं को मिल सके। अभी तक कुल 5 (9 संख्या) बुलेटिन प्रकाशित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को से मान्यता हेतु आवश्यक प्रतिवेदन तैयार कर भारत शासन को भेजा गया।

## पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व के पारम्परिक ज्ञान का दस्तावेज अध्ययन

पचमढ़ी क्षेत्र में स्थानीय रहवासियों द्वारा सदियों से अपनाये गये पारम्परिक ज्ञान को संग्रहित करने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2001 में रु. 3.72 लाख की 2 वर्षीय शोध परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह अध्ययन बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के सामाजिक विभाग के सहयोग से ली गई है। अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर 2005–06 में भारत शासन को प्रस्तुत की गयी।

## अमरकंटक क्षेत्र के बायोस्फियर रिजर्व हेतु नोटिफिकेशन

एफ्को के अमरकंटक क्षेत्र को बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र घोषित कराने के प्रस्ताव पर राज्य शासन व भारत शासन ने भी सहमति प्रदान की है। प्रस्तावित बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र का 32 प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में एवं 68 प्रतिशत क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है। एफ्को के प्रयास से भारत शासन द्वारा इस क्षेत्र को अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के रूप में मार्च 2005 में नोटिफिकेशन जारी किया गया।

## माही योजना, जिला धार, झाबुआ

माही सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले गांवों का सर्वेक्षण तथा उनकी पुनर्बसाहट योजना तैयार करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा एप्को को सौंपा गया है। एप्को को इस सलाहकारी कार्य हेतु रू. 12.05 लाख फीस विभिन्न चरणों में प्राप्त होगी।

माही परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः दो बांध बनाये जा रहे हैं–

1. उप बांध
2. मुख्य बांध

उप बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाले 5 गांवों का सर्वेक्षण किया जाकर उनकी पुनर्बसाहट योजना मय प्रतिवेदन के जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है। वर्तमान में मुख्य बांध के अन्तर्गत आने वाले 8 गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया जाकर उनकी पुनर्बसाहट योजना जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत की जा चुकी है।

## राज्य का पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन

राज्य पर्यावरण नीति के अनुसार राज्य का पर्यावरण वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करना एप्को का ध्वज वाहक कार्य है। अब तक ऐसे 4 वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके हैं । पांचवां पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। एप्को के आयामी वैज्ञानिक दल द्वारा तैयार किये जाने वाले इस वृहद अध्ययन में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के वस्तुस्थिति का सूचीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। पांचवीं पर्यावरणीय वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भारत शासन से भी करीब 12.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन का प्रारूप इस हेतु भारत शासन द्वारा नामित संस्था डव्हलपमेंट आल्टरनेटिव द्वारा संपादित कर निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो चुका है। प्रतिवेदन को अंतिम रूप देकर प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है।

## विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन योजना – भोपाल शहर

भोपाल शहर की पर्यावरणीय वस्तुस्थिति को देखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन योजना सलाहकारी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्य हेतु संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। सलाहकारी संस्था का चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कार्य मार्च 2006 से प्रारम्भ होगा। कार्य का कुल व्यय लगभग रू. 38.00 लाख होने की संभावना है।

## राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

देश की नदियों के संरक्षण, शुद्धीकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनान्तर्गत मण्डलेश्वर/ महेश्वर, होशंगाबाद, गंजबासौदा, नेपानगर, चित्रकूट, सीहोर, राजगढ़, मंदसौर, रीवा एवं शहडोल शहरों और उनसे प्रभावित होने वाली नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, मंदाकिनी, पार्वती, नेवाज, सोन, शिवना एवं बेहर नदियों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे गये थे।
इस परियोजना में जल–मल निकासी तंत्र, कम लागत की स्वच्छता, शवदाह, नान पाइंट प्रदूषण के स्रोत, घाट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र का ट्रीटमेंट एवं वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मानव संसाधन विकास एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल है। उपरोक्त योजनाओं में दो शहरों क्रमशः

बेहर नदी, रीवा एवं नर्मदा नदी, होशंगाबाद के परियोजना प्रस्ताव भारत शासन में विचाराधीन है। इन नदियों के संरक्षण हेतु भारत शासन से लगभग 30.00 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

## नगरीय जल निकायों का एकीकृत विकास

जलाशय/तालाब मीठे पानी के प्रमुख संसाधन है। ये स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ भूजल, पुनःभरण में भी अत्यधिक सहायक होते हैं परन्तु प्रदेश के अधिकतर शहरों में जल मल निकासी, सीवेज ट्रीटमेंट, घरेलू कचरे की उचित व्यवस्था न होने के कारण तालाबों का जल प्रदूषित हो रहा है। जलग्रहण क्षेत्र में भूमि क्षरण तथा रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से वर्षा ऋतु में बारिश के साथ गाद व पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि) से जल भण्डारण क्षमता तथा जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रदेश के शहरी जल निकायों के संरक्षण तथा पर्यावरण उन्नयन हेतु यह परियोजना वर्ष 1990–91 से निरन्तर क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2005–06 में म. प्र. शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न चयनित तालाबों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण व पर्यावरण उन्नयन हेतु रू. 47.13 लाख की राशि एप्को को आवंटित की गयी है जिससे प्रदेश के जल स्त्रोतों के पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैंः–

- गाद निकालना तथा गहरीकरण कर भण्डारण क्षमता में सुधार
- जलीय खरपतवार की सफाई व डिसपोजल
- घाट मरम्मत
- जल प्रदूषण रोकथाम हेतु ठोस अपशिष्ठ
- प्रबंधन प्रदूषित जल की निकासी/हाईवर्शन हेतु नाली निर्माण आदि
- जल ग्रहण क्षेत्र में भूक्षरण रोकने हेतु सिल्ट ट्रेप, चेक डेम, वृक्षारोपण आदि
- तालाब के आसपास बफर क्षेत्र
- पार्क आदि का विकास

## राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के समान, तालाबों के संरक्षण, शुद्धीकरण, सौन्दर्यीकरण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत एप्को द्वारा भेजी गई प्रीफिजीबिलिटी प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश के सागर तालाब, सागर की प्राथमिक सूची में चिन्हित कर विस्तृत डी.पी.आर. चाही गयी थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करना मूलतः अध्ययन आधारित सलाहकारी सेवा होती है। सागर तालाब हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गयी थी जिसके आधार पर सलाहकारी संस्था का चयन कर कार्य सौंपा गया। सागर तालाब का अंतिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी. आर.) प्राप्त हो चुका है जो भारत सरकार को वित्तीय सहायता हेतु भेजा जा चुका है। इस योजना में केन्द्र सरकार से लगभग रू. 30.00 करोड़ मिलने की संभावना है।

इसी योजनान्तर्गत शिवपुरी तालाबों के लिए एप्को द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने का कार्य सलाहकारी संस्था को सौंपा गया तथा शिवपुरी तालाब की डी.पी.आर. (प्रारूप) तैयार किया जा चुकी है। अंतिम (डी.पी.आर.) तैयार कर भारत सरकार को वित्तीय सहायता हेतु जनवरी 2006 में भेजी जा चुकी है। इस योजना में केन्द्र सरकार से लगभग रू. 43.00 करोड़ मिलने की संभावना है।

## इको सिटी परियोजना

उज्जैन शहर में महाकाल मन्दिर के चारों ओर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के पर्यावरणीय उन्नयन का कार्य की परियोजना हेतु केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः यातायात एवं परिवहन उन्नयन, भू–दृश्यीकरण, जल–मल निकासी प्रबंधन व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये गये हैं। योजना की कुल लागत रू. 1170.29 लाख अनुमानित है। योजना के प्रथम चरण में रू. 449.45 लाख तथा द्वितीय चरण में रू. 720.84 लाख का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम द्वारा प्रथम चरण के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य एप्को को सौंपा गया था। एप्को द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर नगर निगम, उज्जैन को सौंपे जा चुके हैं। इस परियोजना को तैयार करने हेतु एप्को को कुल रूपये 10.97 लाख शुल्क के रूप में प्राप्त होने थे। इसमें से रू. 3.21 लाख एप्को को प्राप्त हो चुके हैं जबकि शेष रू. 6.85 लाख की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया जारी है।

## राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। वर्ष 1993–94 से एप्को मध्यप्रदेश के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पर्यावरण के क्षेत्र में रूचि रखने वाली शासकीय/अशासकीय एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता रहती है। वर्ष 2005–2006 के अभियान का विषय ''ठोस अपशिष्ट प्रबंधन '' निश्चित किया गया है। इस वर्ष 1980 प्रतिभागियों के आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से चयनित संस्थाओं को रू. 5000/– से रू 20,000/– तक का अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु एप्को को भारत शासन से पिछले वर्ष रू. 39.03 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ था, तथा इस वर्ष की राशि का निर्धारण शीघ्र किया जावेगा। इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 6 आंचलिक पर्यावरणीय जागरूकता उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन एप्को द्वारा किया जा रहा है।

## राष्ट्रीय हरित कोर योजना

विद्यालयों में पर्यावरण चेतना जागृत करने हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय हरित कोर योजना के अंतर्गत विद्यालयों में पर्यावरणीय विषयों पर रूचि रखने वाले छात्र/ छात्राओं के लिए इको–क्लब का गठन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत विद्यालय का शिक्षक ही क्लब का संयोजक होगा। प्रदेश के लगभग 48 जिलों के विद्यालयों के संयोजकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्येक जिले में दो मास्टर ट्रेनर्स का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 नवीन जिलों अशोक नगर, अनूपपुर एवं बुरहानपुर में भी यह योजना इस वर्ष से प्रारंभ की जा चुकी है तथा इन नवीन जिलों में दो दिवसीय प्रशिक्षण भी इको–क्लब प्रभारी शिक्षकों के लिए आयोजित किये जा चुके हैं।

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

एप्को द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तर के पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2004–2005 के दौरान कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष अभी तक 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

### इंदिरा गांधी फेलोशिप

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त मध्यप्रदेश के रहने वाले 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह फेलोशिप पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध कार्य करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 1986 से प्रारम्भ की गयी है। डॉ. रजनीश श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, एम.ए.एन.आई.टी. भोपाल को प्रदान की गयी फैलोशिप के अंतर्गत अध्ययन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वर्ष की फेलोशिप हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये। आवेदनों में से .चयन की प्रक्रिया चल रही है।

### बेवसाइट

संस्था की बेवसाइट www.epcobpl.org 5 जून 2000 से प्रारंभ की जा चुकी है। इस बेवसाइट में पर्यावरण संबंधी जानकारी के अतिरिक्त संस्था के कार्यकलापों की जानकारी भी उपलब्ध है।

### पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास

संगठन द्वारा पर्यावरणीय विषयों पर उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित कर पर्यावरणीय सूचना केन्द्र का विकास किया गया है। इस सूचना केन्द्र में उत्कृष्ट पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, रिपोर्ट का लगभग 5000 प्रलेखों का संकलन है। पुस्तकालय का उपयोग संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शोधार्थी भी करते हैं।

## स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

### इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय संस्था के रूप में उपयोजनाओं का पर्यावरण आंकलन

गरीबों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय प्राप्ति के साधनों का विकास करना योजना का उद्देश्य है। पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बगैर येाजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण आंकलन व पर्यावरण प्रबंधन हेतु विश्व बैंक द्वारा एप्को को पर्यावरणीय संस्था के रूप में चयनित कर योजनान्तर्गत (योजना अवधि 5 वर्ष) चयन किये गये 14 जिलों में चलायी जाने वाली उपयोजनाओं के पर्यावरण आंकलन व प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है जिसके तहत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं।

1 **प्रशिक्षण –** योजना के प्रारंभ में विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की मार्गदर्शिका निर्धारित करना, प्रारूप तैयार कर प्रशिक्षण देना है। विस्तृत प्रशिक्षण एवं मध्यावधि पुनर्प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है।

2 **निरीक्षण–** क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के उपरांत पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों का निरीक्षण करना, साथ ही एप्को द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संस्था को प्रस्तुत करना है। जिसके अन्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का आंकलन किया जाता है तीन मानिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

3 **पर्यावरणीय मार्गदर्शिका तैयार करना–** गरीबी हटाओ योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले 14 जिलों का पर्यावरणीय प्रोफाइल तैयार करना, साथ ही स्थान विशेष से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में विशेषज्ञ के रूप में उचित दिशा निर्देश प्रदान करना है। प्रथम प्रतिवेदन के साथ जिला पर्यावरण प्रोफाइल दे दी गयी है तथा सभी रिपोर्ट में विशेष सलाह शामिल की जाती है।

परियोजना का कार्य 5 वर्ष का है जो अगस्त 2006 तक पूर्ण होगा। योजना की कुल लागत रू. 45.00 लाख है (यात्रा एवं दैनिक भत्ता छोड़कर)। अभी तक योजनान्तर्गत रू. 24.00 लाख की राशि संगठन को प्राप्त हो चुकी है। यह एक विशुद्ध सलाहकारी कार्य है इससे संगठन को लगभग रू. 35. 00 लाख की बचत होने की संभावना है।

## द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं एवं परियोजनाएं

संगठन द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय कार्यक्रमों (Bilateral Programmes) के माध्यम से परियोजना प्राप्त करने की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से प्रयास आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर लघु व मध्यम अवधि के प्रस्ताव तैयार कर अनुदान देने वाली विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रेषित किये गये। इस तारतम्य में छत जल संचय विषय के शिक्षण व सम्प्रेषण विषय पर एक लघु प्रस्ताव **'सीडा'** द्वारा स्वीकृत किया गया तथा दूसरा मध्यम अवधि का प्रस्ताव जो संगठन के संरचनात्मक सुधार व सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, को डी.एफ.आई.डी. को प्रेषित किया गया है।

### (1) एप्को के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण हेतु डी.एफ.आई.डी. से सहायता

पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के क्षेत्र में एप्को की भूमिका को सुनिश्चित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित और संतुलित उपयोग के आधार पर प्रदेश की विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण की अनिवार्यताओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से संगठन द्वारा एक परियोजना ब्रिटेन सरकार के विभाग डी.एफ.आई.डी. को प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना से एप्को की वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। पर्यावरण एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी अमले की क्षमताओं का विकास किया जायेगा।

परियोजना हेतु डी.एफ.आई.डी. द्वारा लगभग 7.00 करोड़ की अनुदान राशि परियोजना शुरू होने के दिन से 2 वर्ष हेतु दी जायेगी। इस परियोजना को मध्यप्रदेश के बाह्य पोषित परियोजना हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा एवं केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग व डीएफआईडी द्वारा भी अनुशंसित किया गया है एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया है। परियोजना हेतु डीएफआईडी ने परामर्शी संस्था को नियुक्त किया है। परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

**2. जल संचय विवेचन केन्द्र**

सीडा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अन्तर्गत पर्यावरण परिसर में वर्षा जल संचय विवेचन केन्द्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता पर है। शीघ्र ही यह केन्द्र कार्य करना शुरू करेगा।

**भाग – चार**

**सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक**

**भाग – पांच**

**अभिनव योजना – निरंक**

**भाग – छः**

**प्रकाशन**

पर्यावरण के क्षेत्र में जन साधारण में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक पत्रिका पर्यावरण टुडे का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में पर्यावरण संरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित तकनीकी शोध पत्र, लोक रूचि आलेख, स्थायी स्तम्भ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण से संबंधित रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं।

**भाग – सात**

**राज्य महिला नीति एवं कार्ययोजना**

राज्य महिला नीति की कार्य योजना के पालन में राज्य की महिला आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर संगठन द्वारा अमल किया जा रहा है। संगठन में कार्यरत महिलाओं के लिए समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गयी है। उनके बैठने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है। संगठन द्वारा महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। संगठन की महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, राज्य महिला नीति के तहत समिति का गठन किया गया है। एक महिला अधिकारी श्रीमती साधना तिवारी, वरिष्ठ शोध अधिकारी को समिति का नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

**भाग – आठ**

**सारांश**

राज्य की पर्यावरण नीति निर्धारण एवं इसके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में योगदान देते हुए संगठन को राज्य के राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान हेतु नोडल एजेन्सी चुना गया है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण जैव–विविधता क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

# म.प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण

**भाग –एक**

## संरचना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी – **श्री जे. एस. माथुर**

अधीनस्थ कार्यालय – **निरंक**

**भाग – दो**

भोपाल के बडे तथा छोटे तालाबों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) की सहायता से भोज वेटलैण्ड परियोजना वर्ष 1995 से दिनांक 12 जून 2004 तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की गई।

भोज वेटलैण्ड परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य किये गयेः–

### 1. तालाबों में डिसिल्टिंग तथा ड्रेजिंग कार्य

परियोजना के अंतर्गत बड़े तालाब में डिसिल्टिंग का कार्य कर लगभग 27.5 लाख घनमीटर गाद निकाली गई। इस कार्य से जहां बड़े तालाब में मिलने वाले मुहाने पर जमा भूमि का रूप ले रही गाद को हटाकर जलआवक स्रोत सुलभ किया गया वहीं तालाब की जलसंग्रहण क्षमता को भी बढ़ाया गया। छोटे तालाब से लगभग 80,000 घनमीटर गाद, वर्ष 1997 में ड्रेजिंग के द्वारा निकाली गई।

### 2. भदभदा स्थित स्पिल चैनल का गहरीकरण तथा चौड़ीकरण

परियोजना के अंतर्गत स्पिल चैनल के गहरीकरण तथा चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 1999 में सम्पन्न किया गया। 4.41 कि.मी. लंबाई की स्पिल चैनल को 9.87 लाख घनमीटर मिट्टी निकालकर चौड़ा तथा गहरा किया गया जिससे जलप्रवाह सुगम होने के साथ कमला पार्क पर स्थित बांध को, दबाव से बचाया जा सका।

### 3. तकिया टापू का पुनरूद्धार

बड़े तालाब में स्थित तकिया टापू के कटाव तथा गाद के जमाव को रोक कर टापू का वर्ष 1998 में पुनरूद्धार पूर्ण किया गया।

### 4. जलग्रहण क्षेत्रा का उपचार – चैक डेम, सिल्ट ट्रे, टो–वाल तथा केसकेडिंग का निर्माण

तालाबों में मिलने वाले नालों से बहकर आने वाली गाद के प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से छोटे तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में 1 हाई लेवल तथा 2 लो–लेवल गेबियन का निर्माण किया गया तथा बड़े तालाब में मिलने वाले समस्त नालों पर 13, हाई लेवल गेबियन स्ट्रकचर, 62 लो–लेवल गेबियन स्ट्रकचर तथा 2 सिल्ट ट्रेप का निर्माण किया गया ।

### 5. जलग्रहण क्षेत्र का उपचार – वृक्षारोपण द्वारा बफर ज़ोन का निर्माण

बड़े तालाब के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर सघन वृक्षारोपण किया गया है जिससे तालाब में बहकर आने वाली मिट्टी को रोका जा सके। उक्त कार्य के अंतर्गत 936 हेक्टेयर भूमि पर 16.3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 2 लाख पौधे सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वितरित किये गये।

## 6. रेतघाट–लालघाटी लिंक रोड

तालाब के किनारों तथा तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के अंतर्गत, तालाब के पूर्वोत्तरी सघन नगरीय क्षेत्र के तट पर रेतघाट से लालघाटी तक 4.9 कि.मी. लंबा 4 लेन मार्ग निर्मित किया गया जिसमें तालाब के ऊपर 437 मी. लंबा पुल भी सम्मिलित है। इस मार्ग से जहां तालाब और सघन नगरीय क्षेत्रों के बीच एक भौतिक अवरोधक बफर तैयार हुआ वहीं पुराने भोपाल के अंदरूनी मार्गों पर यातायात का दबाव कम हुआ।

## 7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 18 वार्डों का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगर निगम भोपाल की प्रबंधन अधोसंरचना को सुदृढ़ कर किया गया। इस सुदृढ़ीकरण में नगर निगम को अनेक उपकरण तथा वाहन, परियोजना द्वारा प्रदाय किये गये।

## 8. मत्स्य पालन द्वारा जलीय वनस्पतियों पर जैविक नियंत्रण

झील की जलगुणवत्ता में सुधार के लिये मत्स्य पालन द्वारा जलीय वनस्पतियों पर जैविक नियंत्रण एक प्रभावी तरीका है। उक्त कार्य के लिये छोटे और बड़े तालाबों में लगभग 36 लाख मत्स्य बीजों का संचय किया जा चुका है। जिनमें ग्रासकॉर्प, कॉमनकार्प, कतला, रोहू तथा मृगल मछलियां शामिल हैं। इस कार्य द्वारा जहां जलगुणवत्ता में सुधार आयेगा वहीं स्थानीय मछुआरों को रोज़गार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

## 9. डिवीडिंग (खरपतवार निकासी)

तालाबों में प्रदूषण तथा गाद के कारण उत्पन्न खरपतवार की निकासी के उद्देश्य से क्रियान्वित गयी इस योजना से लगभग 362 हेक्टेयर से बेशरम, 380 हेक्टेयर से साइप्रस रॉयली तथा साइप्रस रोटांडा, लगभग 26280 टन जलकुंभी, 222 हेक्टेयर से एक्वेटिका तथा लगभग 72934 टन डूबी हुई जलीय वनस्पति निकाली गई ।

## 10. तैरते फव्वारों की स्थापना

पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर जलगुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से तालाबों में तैरते फव्वारों की स्थापना की गई । प्रथम चरण में छोटे तालाब में तीन विभिन्न प्रकार के फव्वारे स्थापित किये गये तथा उनके वैज्ञानिक आंकलन तथा मूल्यांकन के आधार पर द्वितीय चरण में बड़े तालाब में नौ तथा छोटे तालाब में तीन और फव्वारे स्थापित किये गये ।

## 11. लेक व्यू प्रोमिनॉड

बड़े तालाब के दक्षिणी किनारे पर वर्धमान पार्क से वन विहार तक लेक व्यू प्रोमिनॉड के निर्माण का उद्देश्य भूमि अतिक्रमण रोकना, मिट्टी का कटाव तथा ठोस अपशिष्ट को तालाब में जाने से रोकना है। लगभग 3.5 कि.मी. लंबे इस पैदल पथ चंअमक ूसांूल (प्रॉमिनॉड) का निर्माण किया गया है।

## 12. छोटे तालाब के चारों ओर मेहराबदार दीवार

छोटे तालाब के चारों ओर लगभग 5.5 कि.मी. लंबी मेहराबदार दीवार बनाने का कार्य परियोजनान्तर्गत नगर निगम के माध्यम से कराया गया।

## 13. बड़े तालाब के किनारे निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा दस्तावेजीकरण

बड़े तालाब के किनारे निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा दस्तावेजीकरण का कार्य नगर निगम भोपाल के माध्यम से करा कर दस्तावेज तैयार किया गया ।

## 14. जलगुणवत्ता अध्ययन/आंकलन

जलगुणवत्ता के अध्ययन एवं आंकलन हेतु परियोजना द्वारा वर्ष 1999 में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की गई जो कि निरंतर रूप से जलगुणवत्ता का अध्ययन तथा आंकलन करती है।

### 15. पर्यावरणीय जागरूकता तथा जनभागीदारी अभियान

पर्यावरणीय जागरूकता तथा विशेष रूप से तालाबों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने और परियोजना के कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु जनभागीदारी से, स्वंयसेवी संस्थाओं और स्कूलों/महाविद्यालयों के साथ एक निरंतर अभियान चलाया गया।

### 16. जल–मल निकासी (सीवरेज) प्रणाली तथा मालाकृत नालियों का निर्माण

इस उपयोजना के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्र के 23 वार्डों में लगभग 61 कि.मी. भूमिगत पाइप लाईन, लगभग 24 कि.मी. पंपिंग मेन, 8 नये पंपगृहों का तथा 4 सीवरेज उपचार संयंत्रों का निर्माण तथा 2 पंपगृहों का उन्नयन किया गया।

### 17. धोबीघाट से प्रदूषण की रोकथाम

धोबीघाट से छोटे तालाब में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु, धोबीघाटों को तालाब के नीचे, केवड़े वाले बाग तथा रोशनबाग में पुनर्वासित किया गया। इन पुनर्वास स्थलों पर सुव्यवस्थित घाट, पूर्ण विकसित प्लाट, धोने के लिये स्वच्छ पानी की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। रिक्त कराये गये पुराने धोबीघाट स्थल पर पार्क निर्माण किया गया।

### 18. भदभदा पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण

भदभदा स्थित पुराने पुल पर यातायात दबाव कम करने के लिए एक 4 लेन, 174 मी. लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया।

### 19. इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना

भोज वेटलैण्ड परियोजना की विभिन्न गतिविधियों तथा जल संरक्षण के प्रति जनता में जागरुकता लाने के उद्देश्य वन विहार रोड पर भोज वेटलैण्ड संग्रहालय/अध्ययन केन्द्र/(इंटरप्रिटेशन सेंटर) का निर्माण किया गया। इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रदर्शन सामग्री का निर्माण सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एडूकेशन, अहमदाबाद तथा भवन का निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किया गया।

### 20. कमला पार्क पर बने बॉध का सुदृढ़ीकरण एवं बड़े तालाब से होने वाले रिसाव का नियंत्रण

ग्यारहवीं शताब्दी में बना कमला पार्क बॉध, समय के साथ–साथ बडे तालाब की तरफ बॉध के हिस्से में दरारें एवं बॉध के पत्थर खिसकने से बॉध कमजोर हो रहा था। इसके साथ बडे तालाब से छोटे तालाब की ओर जाने वाली टनल की दरारों से रिसाव में वृद्धि हो गयी थी। कमला पार्क पर बने 370 मीटर लंबे बॉध को सुदृढ. करने के लिए फुटपाथ एवं काल्क्रीटिंग का कार्य किया गया । बड़े तालाब की टनल से होने वाले रिसाव को रोकने के लिए ग्राउटिंग एवं रिसाव को नियंत्रित करने के लिए टनल के प्रवेश एवं निकास द्वार पर गेट लगाने का कार्य किया गया ।

उपरोक्त कार्यों के अलावा भोज वेटलैण्ड परियोजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु प्रेमपुरा घाट का निर्माण किया गया, जिससे तालाब का मुख्य जल क्षेत्र दुष्प्रभावित नहीं हो तथा मूर्ति विसर्जन से एकत्रित होने वाली मिट्टी की निकासी की जा सके। छोटे एवं बड़े तालाब के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाता था, जिससे तालाबों में मिट्टी के जमाव के साथ–साथ मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक तत्वों से जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। अतः वैकल्पिक

व्यवस्था के रूप में परियोजना अंतर्गत भदभदा स्पिल चैनल पर घाटों का निर्माण किया गया। जिला प्रशासन ने सर्वदलों, उत्सव समितियों एवं शांति समिति के प्रतिनिधियों से आपसी चर्चा कर आम सहमति द्वारा शीतलदास की बगिया पर विसर्जन पूर्णत प्रतिबंधित कर प्रेमपुरा घाट एवं खटलापुरा पर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जनमानस को प्रेरित किया जिसके परिणाम स्वरूप समस्त गणेश एवं दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नवनिर्मित प्रेमपुरा घाट पर सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

भोज वेटलैण्ड परियोजना पर 12 जून 2004 तक लगभग रु. 218.61 करोड़ तथा 541.19 मिलियन येन व्यय किया गया । भोज वैटलैण्ड परियोजना का कार्यकाल समाप्त होने पर परियोजना के अंतगर्त निर्मित समस्त सीवेज पम्प गृहों एवं सीवेज उपचार संयत्रों के संचालन एवं संधारण का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल को सौंपा गया है, शेष सभी परिसंपत्तियां संधारण हेतु नगर निगम को सौंपी गई हैं।

भोज वेटलैण्ड परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि भोपाल तालाब का पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य एक ही बार का प्रयास नहीं हो सकता है। अतः परियोजना के अंतर्गत किये गये कार्यो को उत्प्रेरक के रूप में लेते हुए संरक्षण कार्यों को निरंतर क्रियाशील रखने तथा परियोजना क्रियान्वयन के अनुभव को प्रदेश स्तर पर अन्य जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से **म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण** की स्थापना एक समिति के रूप में, म. प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत 20 मई 2004 को पंजीकृत की गई। जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.05.04 को मंत्रीपरिषद की बैठक में प्रदान की गई।

म. प्र. झील संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :

- जल संसाधनों का स्वपोषी पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन करना।
- जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना।
- जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता पैदा करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, प्राधिकरण प्रदेश में संवेदनशील वेटलैण्ड का चयन, जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रस्ताव निर्माण एवं क्रियान्वयन, पारिस्थितिकीय योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना, जल गुणवत्ता आंकलन करना, स्थानीय नीति विकसित करना, स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करना आदि भी प्राधिकरण के कार्य होंगे। प्राधिकरण वैधानिक गतिविधियों में जल संसाधनों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित कर संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य शासन को सुझाव एवं अनुशंसा प्रदान करेगा। प्राधिकरण सलाहकारिता गतिविधियों में राज्य शासन को जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका एवं नीति तैयार करने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। जल संसाधनों के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए शोध अध्ययन भी करेगा।

मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण जे.बी.आई.सी. के वित्तीय सहयोग से भोज वेटलैण्ड परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यों के रख रखाव, परियोजना समाप्ति उपरांत भोपाल के बड़े एवं छोटे तालाब के संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य तथा म. प्र. के अन्य जलाशयों के संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों हेतु निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करेगाः

1. तालाबों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु उचित तकनीक का उपयोग।
2. जी.आई.एस. एवं सेटेलाईट तकनीक द्वारा तालाबों के प्रबंधन हेतु अध्ययन।

3. तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र से मृदा क्षरण रोकने हेतु प्रबंधन कार्य।

4. तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु रसायनिक उर्वरक के उपयोग से तालाबों के प्रदूषण को कम करने हेतु जैविक खेती को प्रोत्साहन।

5. भोपाल एवं प्रदेश के अन्य तालाबों की जलगुणवत्ता आंकलन ।

6. पर्यावरण जागरूकता एवं जनभागीदारी कार्यक्रम।

7. भोज वेटलैण्ड परियोजना के अंतर्गत स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर (अध्ययन केन्द्र) का संचालन, रखरखाव एवं उन्नयन।

8. मछुआरों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु मछली पालन की उचित तकनीकों को बढ़ावा।

9. जलाशयों के प्रबंधन हेतु प्रदेश एवं अन्य स्थानों पर किये जा रहे कार्यों/ अध्ययन के ऑकडों को इकट्ठा/ विश्लेषण करना तथा अन्य संस्थाओं केच बीच समन्वय स्थापित करना।

म.प्र. तालाब, झील तथा अन्य जलस्रोतों का संरक्षण विधेयक तैयार कर विभाग के माध्यम से विधि विभाग को भेजा गया था। जिसका अनुमोदन विधि विभाग द्वारा कर दिया गय है। उक्त विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में पेश करने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर की जा रही है। विधेयक पास होने के उपरांत प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके फलस्वरूप और अधिक बजट की आवश्यकता पड़ेगी।

मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) एवं राष्ट्रीय वेटलैण्ड संरक्षण योजना (एन.डब्ल्यू.सी.पी.) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रदेश के 6 तालाबों जैसे गोविन्दगढ़ तालाब रीवा, यशवंत सागर तालाब इंदौर, संग्राम सागर तालाब जबलपुर, शिवपुरी तालाब शिवपुरी, बारना जलाशय रायसेन, महेन्द्र सागर तालाब टीकमगढ़ के लिए संरक्षण एवं प्रबंधन पर परियोजना प्रस्ताव तैयार कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन को भेजा गया है। वर्ष 2005–06 में प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति उपरांत उक्त तालाबों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं प्रबंधन कार्य योजना तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य तालाबों तिगरा जलाशय ग्वालियर, पुरैना तालाब दमोह, उंडेसा तालाब उज्जैन, परशुराम तालाब नरसिंहगढ़ आदि के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की योजना है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के सरंक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों के लिए प्राधिकरण सलाहकारिता योजनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

# आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल

## भाग – एक

### संरचना

आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना 19 नवम्बर ,1987 को आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1995 में इसे मध्य प्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मध्यप्रदेश के मान्नीय मुख्य मंत्री, संस्थान की साधारण सभा के सभापति एवं माननीय पर्यावरण मंत्री उप–सभापति हैं। संस्थान के प्रबंधन एवं कार्यकलापो के संचालन हेतु कार्यकारिणी परिषद गठित है। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, कार्यकारणी परिषद् के अध्यक्ष एवं कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, सदस्य सचिव है।

### अधीनस्थ कार्यालय का विवरण

संस्थान का मुख्यालय पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थित है। संस्थान के अंन्तर्गत अन्य कोई भी अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नही है।

### दायित्व

संस्थान द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

1. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं की रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
2. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना ;
3. प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं की रोकथाम, निरोध उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये जन सामान्य हेतु जन जागृति कार्यक्रमों को आयोजित करना ;
4. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदा प्रबंधन के विषयों पर सूचनाओं का संकलन, प्रलेखन एवं शोध कार्य सम्पादित करना ।

### सामान्य जानकारी एंव प्रमुख विशेषताएं

संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इनसे जन सामान्य पर होने वाली क्षति को न्यूनतम करने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास एवं प्रसार करना है। संस्थान, प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं से संबंधित विषयों पर शासकीय, अर्ध शासकीय एवं निजी संस्थानों के अमले में आपदाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, साथ ही जन सामान्य हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जन–जागृति कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त देश एवं प्रदेश के खतरनाक उधोगों, आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन में संलग्न शासन के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों को आपदा प्रबंधन विषय पर परामर्श सेवा एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान करता है।

अपनी स्थापना के अठारह बर्षों के उपरान्त, संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक व औधोगिक आपदाओं के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा प्रदान करने वाली एक उत्कृष्ठ संस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। संस्थान द्वारा विगत बर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले विशिष्ट सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्रय किए गए हैं एवं विश्व के प्रमुख संस्थानों से समन्वय के द्वारा तकनीकी क्षमता में वृद्धि की गयी है।

संस्थान की तकनीकी योग्यताओं का लाभ देश के प्रमुख औधोगिक प्रतिष्ठान और आपदा प्रबंधन में संलग्न विभिन्न संस्थान ले रहे है। संस्थान, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट तकनीकी क्षमता को अधिक सुदृढ़ करते हुये, भविष्य में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपने को स्थापित करने हेतु अग्रसर है। संस्थान द्वारा संपादित किये जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

## प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं की रोकथाम तथा इसके प्रभावों को कम करने हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, संस्थान की प्रमुख गतिविधि है। इसके तहत संस्थान द्वारा स्थापना के समय से ही समस्त प्रासंगिक विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस गतिविधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आपदा प्रबंधन से जुडे विभिन्न विभागों, खतरनाक उधोगों, एवं स्वंय सेवी संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

## परामर्श सेवा

दक्ष तकनीकी अमले की नियुक्ति, विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरणो एवं सॉफ्टवेयर की उपलब्धि, संकाय सदस्यो का देश एवं विदेश के विशिष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण आदि से संस्थान द्वारा खतरनाक उद्धोगो के सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श सेवा देने की क्षमता विकसित की गयी है :–

1. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं हेतु आपतकालीन कार्य योजना ;
2. खतरनाक औधोगिक क्षेत्रो की ऑन– साइट एवं ऑफ– साइट योजना ;
3. प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं के खतरो का विश्लेषण ;
4. हजार्ड आईडेन्टीफिकेसन एन्ड रिस्क ऐसेसमेन्ट
5. खतरनाक उधोगों का सेफ्टी ऑडिट

इस गतिविधि के अंतर्गत देश एवं प्रदेश के खतरनाक उधोगों, प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंधन मे संलग्न शाासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों आदि को परामर्श सेवा उपलब्ध कराया जाता है।

## जनजागृति कार्येक्रम

यदि जनसामान्य आपदा बचाव से संबंधित पहलुओं की जानकारी रखता है तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या औधोगिक आपदा के समय वह उससे बचाव के प्राथमिकी उपायों का कारगर ढंग से अनुसरण कर, संभावित हानि को कम कर सकता है। इस गतिविधि के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गो जैसे विधार्थी, औधोगिक क्षेत्रो में रहने वाले जन सामान्य, ग्रामीण समुदाय, नीति निर्धारक,

स्वयंसेवी संगठनो आदि हेतु प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रो में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

## सूचना एवं प्रलेखन

इस गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं तथा इनकी रोकथाम व सुचारू प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। आपदा प्रबंधन पर जन चेतना हेतु समुचित उपयोगी सामग्री का विकास एवं विभिन्न गतिविधियों व माध्यमों से उक्त सामग्री का लोकहित हेतु वितरण एवं प्रसारण किया जाता है।

संस्थान ने अपनी वेबसाइट को अधतन कर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयो पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं, प्रलेखों, दिशानिर्देशों, संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिश्चित की है। संस्थान द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों व बहुउपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन सतत् रूप से किया जा रहा है।

इस अवधि में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत संस्थान द्वारा एक मेनुअल भी विकसित किया गया है ताकि जन सामान्य संस्थान से संबंधित सूचनाओं को सुगमता से प्राप्त कर सकें।

## भाग : दो

### बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में राज्य योजना बजट में संस्थान को 61ण्00 का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। संस्थान द्वारा वार्षिक योजना वर्ष 2006–2007 हेतु राशि रूपये 67ण्00 लाख का प्रस्ताव किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

| विवरण | राशि लाख में |
|---|---|
| प्रशिक्षण कार्यक्रम | 3ण्00 |
| जनजाग्रति कार्यक्रम | 3ण्00 |
| स्थापना व्यय | 58ण्00 |
| पुस्तकालय | 3ण्00 |
| **कुल योजना प्रावधान** | **67ण्00** |

## भाग तीन

### राज्य योजनाएं

राज्य योजना के अन्तर्गत संस्थान निम्न कार्य निष्पादित करता है :–

## 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा वर्ष 2005–2006 के दौरान आपदा प्रबधन एवं इससें जुडे विभिन्न विषयों पर वर्तमान में कुल 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके है तथा मार्च 2006 तक शेष 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश शासन के,राजस्व, गृह (पुलिस, होमगार्ड) नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण, वाणिज्य एवं उधोग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के, मिडिल स्तर एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वंय सेवी संगठनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आपदा प्रबधन से सम्बन्धित विषयो पर प्रशिक्षित किया गया।

उपरोक्त प्रशिक्षण कायक्रमों के अंतर्गत संस्थान द्वारा उद्योगों के प्रतिनिधियों, केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों, औधोगिक स्वास्थ एवं सरुक्षा से जुड़े शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों हेतु भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

वर्ष 2006–07 के दौरान 10 जनवरी 2006 तक आयोजित किए गये 39 प्रशिक्षण कार्यक्रमो का विवरण निम्नानुसार है :–

### वर्ष 2005–2006 के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्र. | विषय | अवधि | प्रतिभागियो का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | रासायनिक दुर्घटनाओं का प्रबंधन | 29–30 अप्रेल 2005 | केरल प्रान्त के रासायनिक संयत्रों के सुरक्षा अधिकारियों के लिये |
| 2 | हैजोप विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | 5–6 मइ 2005 | ओ एन जी सी के सुरक्षा अधिकारी |
| 3 | रासायनिक दुर्घटनाओं आपात कालीन योजना एवं बचाव एवं प्रबंधन | 28–29 जुलाई 2005 | म.प्र के उद्योगों के सुरक्षा अधिकारी |
| 4 | अर्न्तराज्यीय पर्यावरण सूचना तकनीक साफ्टवेयर | 19–20 जुलाई 2005 | पर्यावरण सुचना से संबंधित विशेषज्ञ |
| 5 | सेफ्टी आडिट | 10–11 अगस्त 2005 | विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष अनुसंघान ,केरला के सुरक्षा अधिकारी |
| 6 | रासायनिक दुर्घटनाओं आपात कालीन योजना एवं बचाव एवं प्रबंधन | 17–19 अगस्त 2005 | गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के डी,सी,जी सदस्यों हेतु |
| 7 | पर्यावरणीय योजनाओं पर औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण | 17–21 अक्टूवर 05 | विभीन्न प्रदेशें के सुरक्षा अधिकारियों हेतु |
| 8 | औद्योगिक आपदाओं हेतु पर्यावरणीय योजना | 25–26 नबम्वर 05 | वभीन्न प्रदेशें के औद्योगिक सुरक्षा से जुड़ै अधिकारी |
| 9 | वायोमेडिकल वेस्टस (जैविक अपशिष्ट) नियम | 28 नबम्वर 05 | म.प्र. के चिकित्सा अधिकारी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1998 | | |
| 10 | आपदा प्रबंधन : योजना बचाव एवं पूर्व तैयारी | 15–16 दिसम्बर 05 | आई ओ सी एल दिग्बोई आसाम के सुक्षा अधिकारी |
| 11 | खतरनाक रसायनों के भंडारण में खतरों की पहचान एवं उनका विश्लेषण | 19–23 दिसम्बर 05 | विभिन्न प्रदेश के सुरक्षा अधिकारी |
| 12 | आपदा एवं अग्नि सुरक्षा प्रबंधन | 19–23 दिसम्बर 05 | आई पी एस एच ई एम ओन जी सी गोवा, के सुरक्षा अधिकारी |
| 13 | आपदा प्रबंधन | 10–13 मई 05 | मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न अभियात्रिकीय विभागों के अभियांताओं हेतु |
| 14 | आपदा प्रबंधन | 01–02 दिसम्बर 04 | मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थय विभाग के अधिकारियों हेतु |
| 15 | आपदा प्रबंधन | 6–8 जुलाई 05 | मध्यप्रदेश के स्काउट एवं गाइड के अधिकारियों के लिए |
| 16 | बाढ़ आपदा प्रबंधन | 14 जुलाई 05 | छिंदवाड़ा जिले के अधिकारियों के लिए |
| 17 | बाढ़ आपदा प्रबंधन | 18 जुलाई 05 | खण्डवा जिले के अधिकारियों के लिए |
| 18 | बाढ़ आपदा प्रबंधन | 26 जुलाई 05 | बालाघाट जिले के अधिकारियों के लिए |
| 19 | बाढ़ आपदा प्रबंधन | 29 जुलाई 2005 | सीहोर जिले के अधिकारियों के लिए |
| 20 | बाढ़ आपदा प्रबंधन | 10अगस्त 2005 | धार जिले के अधिकारियों के लिए |
| 21 | आपदा प्रबंधन | 22–25 अगस्त 2005 | मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी |
| 22. | आपदा प्रबंधन | 6–9 सितम्बर 2005 | मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न अभियात्रिकीय विभागों के अभियांताओं हेतु |
| 23 | आपातसिथिति में एमच्योर रेडियों द्वारा संबाद विषय पर कार्यशाला | 14 अक्टूवर 5 | भोपाल स्थित अभियांत्रिकीय महाव्द्यिालयों के छात्र एवं शिक्षक |
| 24 | आपदा प्रबंधन | 19 अक्टूवर 05 | डिन्डोरी जिले के अधिकारियों हेतु कार्यशाला |
| 25. | आपदा प्रबंधन | 20 अक्टूवर 05 | डिन्डोरी जिले के शिक्षा अधिकारियों हेतु कार्यशाला |
| 26. | आपदा प्रबंधन | 21 अक्टूवर 05 | डिन्डोरी जिले के जन प्रतिनिधियों हेतु कार्यशाला |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. | आपदा प्रबंधन | 25–28 अक्टूवर | स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी |
| 28. | आपदा प्रबंधन | 29 अक्टूवर 05 | नेहरू युवा केन्द्र एवं एन एस एस के अधिकारी |
| 29. | आपदा प्रबंधन | 08–11 नबम्वर 05 | मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों की क्षमता वृद्वि में प्रशिक्षण |
| 30. | आपदा प्रबंधन | 09 नबम्वर 05 | दमोह जिले के अधिकारी |
| 31 | आपदा प्रबंधन | 10 नबम्वर 05 | दमोह जिले के शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारी |
| 32. | आपदा प्रबंधन | 11 नबम्वर 05 | दमोह जिले के जन प्रतिनिधि एवं स्वयं सेवी संगठन के अधिकारी |
| 33. | आपदा प्रबंधन | 22–25 नबम्वर 05 | मध्य प्रदेश शासन के अभियंता |
| 34. | आपदा प्रबंधन | 01 दिसम्बर 05 | देवास जिले के अधिकारी |
| 35 | आपदा प्रबंधन | 02 दिसम्बर 05 | देवास जिले के शिक्षाअधिकारी |
| 36 | आपदा प्रबंधन | 03 दिसम्बर 05 | देवास जिले के जन प्रतिनिधि एवं स्वयं सेवी संगठन के अधिकारी |
| 37 | आपदा प्रबंधन | 13–14 दिसम्बर 05 | स्वयं सेवी संगठन के अधिकारी |
| 38 | आई सी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम | 19–23 दिसम्बर 05 | भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी |
| 39. | आपदा प्रबंधन | 09 जनवरी 06 | सी बी एस सी पाठयक्रम आधारित शिक्षकों हेतु |
| 40. | आई सी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम | 16–20 जनवरी 06 | भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी |

**प्रशिक्षण में विशिष्ट उपलब्धियॉः**

- गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में **इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम** पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है । इसके तहत संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक,पुलिस तथा अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु दो प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा इसके अतिरिक्त तीन अन्य प्रशिक्षण मार्च 06 तक सम्पन्न किया जायेगा ।

**चित्र संख्या : 1**

**आई सी एस प्रशिक्षण समापन समारोह**
श्री सत्यप्रकाश , प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष, आपदा प्रबंध संस्थान बोलते हुए तथा संस्थान के कार्यपालन संचालक, श्री एस एन मिश्रा एवं संचालक कर्नल ए के एस परमार बैठे हुए।

पिछ[illegible]पदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण तथा जन – जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा इसके अतिरिक्त मार्च 06 तक प्रदेश के 05 विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

- संस्थान द्वारा औद्योगिक तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विशिष्टता हासिल करने के फलस्वरूप देश के महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान से सलाहकारिता तथा प्रशिक्षण सेवाऐं ली जा रहीं हैं।

**चित्र कमांक : 2**

संस्थान के कार्यपालन संचाल

- इस अवधि में विक

**म साराभाई स्पेस सेंटर ,केरला** में सुरक्षा अधिकारियों हेतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- इस अवधि में ओ.एन.जी.सी. के मुख्य कार्यालय गोवा में ओ.एन.जी.सी. के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों हेतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- इस अवधि में ही संस्थान द्वारा सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम में शिक्षको को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया।

## जन–जागृति कार्यक्रम

संभावित आपदाओं के रोकथाम, उनके दुष्प्रभावो के न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु संस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये। संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान जनवरी माह तक 11 जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

| कं | स्थान | अवधि | कार्यक्रम विवरण | प्रतिभागी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महर्षि विद्यालय , भोपाल | 25 जून 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला | महर्षि विद्यालय के शिक्षक गण |
| 2 | सेंट जोसेफ स्कूल, भोपाल | 01 जुलाई 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला | सेंट जोसेफ स्कूल के शिक्षकगण |
| 3 | छिदवाड़ा | 15 जुलाई 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं जनजागृति कार्यक्रम | छिदवाड़ा जिले के स्वयंसेवी संगठन एवं विद्यार्थी |
| 4 | खण्डवा | 19 जुलाई 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं जनजागृति कार्यक्रम | स्कूली छात्र–छात्राओं के लिये। |
| 5 | बालाघाट | 27 जुलाई 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं जनजागृति कार्यक्रम | स्कूली छात्र–छात्राओं के लिये। |
| 6 | सिहोर | 30 जुलाई 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं जनजागृति कार्यक्रम | स्कूली छात्र–छात्राओं के लिये। |
| 7 | धार | 11 अगस्त 05 | आपदा प्रबधन कार्यशाला एवं जनजागृति कार्यक्रम | स्कूली छात्र–छात्राओं के लिये। |
| 8 | उत्कृष्टता विद्यालय भोपाल | 26 अक्टूवर 05 | वाद विवाद एवं कार्यशाला | भोपाल स्थित सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थी |
| 9 | सेंट जोसेफ स्कूल, भोपाल | 29 अक्टूबर05 | आपदा प्रबंधन माडल प्रतियोगिता | सेंट जोसेफ स्कूल के विद्यार्थी |

## सूचनाओ का प्रलेखन एवं शोध कार्य

आपदा प्रबंधन एक व्यापक विषय है जिसपर निरंन्तर खोज, सूचनाओं एवं जानकारियों का संकलन एव अध्ययन की आवश्यकता है इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर उत्कृष्ट पुस्तकालय की स्थापना की गयी है, जिसमें वर्तमान में आपदा प्रबंधन विषय से सम्बन्धित 3300 पुस्तकें एवं 720 जर्नल्स उपलब्ध हैं। पुस्तकालय की सेवाओं के उपलब्धता को और सुगम बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

## केन्द्र प्रवर्तित योजना

संस्थान अपने स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है एवं प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियॉ संचालित कर रहा है। संस्थान के विशिष्ट ज्ञान एवं क्षमता को देखते हुये केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नांकित परियोजनाओं के संचालन हेतु संस्थान का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | वन एवं पर्यावरण मंत्रालय | एनविस नोड की स्थापना |
| 2 | केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | स्पेशियल एन्वायरमेन्ट प्लानिंग विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थान का चुनाव |
| 3 | गृह मंत्रालय | इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तरी भारत के लिये क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में संस्थान का चुनाव |
| 4 | गृह मंत्रालय | सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के तहत् प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ हेतु संस्थान का चुनाव |
| 5 | गृह मंत्रालय | भूकंप आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु संस्थान का चुनाव (विचारधीन) |

- भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत, संस्थान में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंन्धन हेतु नियमित रूप से राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन–समुदाय हेतु आपदा प्रबंध के क्षेत्र में जनजागृति कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के **ष्एन्वॉयरमेन्टल इनफॉरमेशन सिस्टमष्** योजना के अन्तर्गत संस्थान में एक ष्एनविसष् नोड की स्थापना की गयी है । इस नोड की सहायता से संस्थान द्वारा पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित सूचना को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एनविस नोड की उत्कृष्ट कार्य को

देखते हुऐ इसे एनविस केन्द्र के रूप में मान्यता दी गयी है। संस्थान को एनविस हेतु वित्तीय सहायता पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गयी है। एनविस केन्द्र द्वारा एक मासिक न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है।

## विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें

वर्तमान में संस्थान में विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना नही चलाई जा रही है ।

## विदेश सहायता प्राप्त योजना परियोजना

वर्तमान में संस्थान में विदेश सहायता प्राप्त कोई योजना नही चलाई जा रही है ।

## अन्य योजनाऐं

- गृह मंत्रालय भारत शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 5 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चुना गया है। इसके तहत संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यो के प्रशासनिक अधिकारियों को आपदा प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा अपनाई गयी इस नवीन प्रबंधकीय तंत्र का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान को देश के चुनिंदा 8 प्रशिक्षण संस्थानों में से एक संस्थान के रूप में श्स्पेशियल इन्वॉयरमेन्टल प्लानिंगश के क्षेत्र में मानव संसाधन में क्षमतावृद्धि हेतु चुना गया है। इस कार्यक्रम हेतु श्जी.टी.जेडश एवं ष्इनवेन्टष् द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत आपदा प्रबंन्धन से जुडे विभिन्न विषयो पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।

### भाग चार

## सामान्य प्रशासनिक विषय

- ❖ सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत संस्थान द्वारा सूचना अधिकार मैनुअल विकसित किया गया है। इस मैनुअल के माध्यम से जन सामान्य संस्थान की क्रिया कलापों की जानकारी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। मैनुअल को संस्थान के बेवसाइट पर भी अद्यतन किया गया है।
- ❖ आपदा प्रबंध संस्थान अपनी विशेषज्ञ जानकारी एवं कार्यो की वजह से आपदा प्रंबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा मध्यप्रदेश राज्य में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है। संस्थान के इस चहुमुखी विकास में मध्य प्रदेश शासन के सतत् सहायता, नार्वे सरकार द्वारा प्रायोजित श्नोराड परियोजनाश का महत्वपूर्ण योगदान है। नोराड परियोजना एवं मध्य प्रदेश शासन के वित्तीय सहायता द्वारा लगभग रूपए–90.00 लाख की लागत से संस्थान के हास्टल भवन का निर्माण संभव हुआ है। होस्टल भवन के अन्तर्गत 24 कमरे 48 प्रतिभागियों हेतु व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हेास्टल भवन में एक कान्फरेन्स हाल का निर्माण कराया गया है। पर्यावरण एवं उर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुये होस्टल भवन में सौर उर्जा आधारित गरम जल संयत्र एवं वर्षा जल संचयन की व्यवस्था

की गई है। हेास्टल भवन के निर्माण होने से संस्थान अब अपनी सेवाओं को और बेहतर रूप से आयोजित करने में सफल होगा।

## भाग– पांच

### अभिनव योजना

- संभावित आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार माध्यम के रूप में एम्योचर रेडियो प्रणाली (हैम रेडियो) की प्रासंगिकता के दृष्टिगत संस्थान द्वारा इस अवधि के दौरानएम्योचर रेडियो सोसायटी की स्थापना एवं संबंधित उपकरणों का क्रय किया गया। इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार माध्यम स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- संस्थान द्वारा प्राकृतिक एवं औधोगिक आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंन्धन हेतु विशिष्ठ तकनीकी दक्षता हासिल की गयी है इसके फलस्वरूप संस्थान देश के महत्वपूर्ण रासायनिक उद्योगों एवं सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सलाहकारिता सेवा प्रदान कर रहा है। संस्थान की विशिष्ट वैज्ञानिक सेवाओं का उपयोग प्रदेश एवं केन्द्र शासन के अतिरिक्त देश के निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम जैसे नावार्ड, एन टी पी सी, नाल्को, आइ ओ सी एल,ओन जी सी आदि ले रहे हैं। संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 04–05 के दौरान निम्नानुसार परामर्श सेवा प्रदान की गयी :–

| क | उद्धोगो /उपक्रम | परामर्श सेवा |
|---|---|---|
| 1. | एस एस कौप, भोपाल | सुरक्षा अंकेक्षण |
| 2. | सील केमिकल्स, पटिआला पंजाब | सुरक्षा एवं पर्यावरण अंकेक्षण |
| 4 | ओ एन जी सी कराईकल | जोखिम विशलेषण |
| 5 | वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन | भिण्ड जिला औद्योगिक जोखिम विश्लेषण |
| 6 | वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन | रायपुर जिला औद्योगिक जोखिम विश्लेषण |
| 7 | एचईजी रायसेन | आरंभिक पर्यावरणीय परीक्षण |
| 8 | गौतम बुद्व नगर उत्तर प्रदेश | आफ साइट आपात प्रबंधन योजना |
| 9 | अन्टा गैस पावर प्रेाजेक्ट राजस्थान | सुरक्षा अंकेक्षण |
| 10 | एनटीपीसी दादरी उत्तर प्रदेश | संख्यात्मक जोखिम विश्लेषण |
| 11 | एचईजी रायसेन | हैजाप अध्ययन |

- संस्थान द्वारा **भूकंपरोधी मकानों के निमार्ण तकनीक हेतु एक मैन्युल एवं मार्गदर्शिका विकसित की गयी है** । मैन्युल में जो उपयोगी सूचनाऐं एवं जानकरियॉ दी गयी है उससे भूकंप प्रभावित क्षेत्रो में रहने वाले नागरिको को सुरक्षित मकान निर्माण तकनीक अपनाने में काफी सहूलियत होगी । इस अवधि में मैन्यूल का हिन्दी में रूपान्तर कार्य किया गया। इस कार्य हेतु गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

- विज्ञान एवं प्रौधोगिकी विभाग, भारत शासन द्वारा एस.ई.आर.सी. यंग साइनटिस्ट योजना के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन योजना निरूपण में डेन्स गैस डिशपरसन मॉडलिंग के उपयोग पर शोध कार्य कियान्वित है।

**भाग छः**

संस्थान द्वारा एनविस योजना के अंतर्गत न्यूजलेटर का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य को प्राकृतिक और औधोगिक आपदाओं के संभावित प्रभावों से बचाव एवं पूर्व तैयारी हेतु जनजागृति सूचना पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है।

**भाग सात**

राज्य की महिला नीति के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के पालन पर संस्थान द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। संस्थान में कार्यरत महिला कर्मियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संस्थान में मूलभूत भौतिक सुविधाओं को वेहतर किया गया है। महिला उत्पीड़न को रोकने हेतु एक समिति बनाई गई है। अभी तक इस समिति के समक्ष किसी भी महिला कर्मी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह तथ्य संस्थान में उच्च कोटि के अनुशासन को परिलक्षित करता है।

संस्थान के मुख्य गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जन–जागृति कार्यक्रम में महिला वर्ग की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेंष जोर दिया गया है। इस वर्ष संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या  पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक रही है।

**भाग – आठ**

**सारांश**

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उददेश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करते हुए संस्थान द्वारा इस वर्ष देश के प्रतिष्टित संस्थानों जैसे इसरों, ओएनजीसी, एनटीपीसी आदि को प्रशिक्षणश एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान की गयी।

इस वर्ष संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों हेतु इन्सीडेंट कमाण्ड सिस्टम पर दो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया। यह इस वर्ष की संस्थान की विशेष उपलब्धि रही।  संस्थान अपनी विशिष्ट जानकारी एवं कार्यो की वजह से आपदा प्रंबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा मध्यप्रदेश राज्य में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है।

मयूर पार्क, भोपाल

संकलन एवं आकल्पन
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
भोपाल